लोक-सभा

शनिवार,
१३ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५–४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४८९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर

*७०३. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा शिविर हैं जो भारत में कार्य करते रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष में उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन शिविरों को कोई सुविधा दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). जहां तक इस मंत्रालय के पास जानकारी है, पांच अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थाये भारत में वास्तविक सेवा कार्य करती रही हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जब भी कार्य शिविर लगाने की प्रार्थना की जाती है, सरकार निम्नलिखित दरों पर अनुदान देती है : (१) खाने पीने तथा आनुषंगिक खर्च के लिए १ रुपये १२ आना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति; (२) तीसरी श्रेणी का रेलवे का किराया या बस का किराया ।

श्री राधा रमण : ये संस्थाएं कितने विदेशियों को स्वयंसेवक के रूप में भारत में शिविरों में काम करने के लिये भेज रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : इन्हें विदेशी कहना उचित नहीं है; इन शिविरों में काम करने वाले कुछ स्वयंसेवक गैर-भारतीय हैं परन्तु ये संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय हैं । "अन्तर्राष्ट्रीय" में भारत भी आ जाता है । ऐसी दो संस्थाएं है । एक तो नागरिक सेवा की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था (सर्विस सिविल इन्टरनेशनल) है जिसके ३५ स्वयंसेवकों ने शिविर लगाया और दूसरी विश्व विश्वविद्यालय सेवा (वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस) है जिसके ५० स्वयंसेवकों ने शिविर में कार्य किया ।

श्री राधा रमण : सभासचिव महोदय ने अभी कहा कि भारत सरकार इन संस्थाओं को तीसरी श्रेणी के किराये आदि के अतिरिक्त कुछ और सुविधाएं देती है । तो वे सुविधायें क्या हैं और क्या इन शिविरों में कार्य करने वाले स्वयंसेवक यहां आने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेते हैं ?

डा० एम० एम० दास : ये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पहले से ही भारत में काम कर रही हैं । स्वयंसेवकों ने अनुमति ली ही होगी अन्यथा उन्हें देश में आने न दिया जाता ।

श्री राधा रमण : इन स्वयंसेवकों ने अब तक किन किन स्थानों में काम किया है और शारीरिक परिश्रम द्वारा सेवा की है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं ने कहा दो संस्थाओं ने शिविर लगाये । नागरिक

कि सेवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था (सर्विस सिविल इन्टरनेशनल) का शिविर थिरूवनमपुर कुप्पम (मद्रास राज्य) में लगा था और विश्व विश्वविद्यालय सेवा (वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस) का वज़ीराबाद, दिल्ली में ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : सम्भवतः इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति हो रही है जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। इन शिविरों में काम करने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश भारतीय थे । विश्व विश्व-विद्यालय सेवा (वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस) द्वारा लगाये गये शिविर में काम करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय थे परन्तु दूसरी संस्था के शिविर में अधिकांश भारतीय थे और कुछ विदेशी ।

डा० रामा राव : अब तक इन पांच शिविरों में काम करने वाले विदेशी नागरिकों की ठीक ठीक संख्या कितनी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : ठीक ठीक संख्या तो मुझे मालूम नहीं ।

श्री ए० एम० थामस : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या ७०४ के साथ प्रश्न संख्या ७१० का भी उत्तर दे दिया जाय। दोनों भारत कार्यालय पुस्तकालय के सम्बन्ध में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को दोनों का एक साथ उत्तर देने में सुविधा होगी ?

डा० एम० एम० दास : जी, हां ।

भारत कार्यालय पुस्तकालय

*७०४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मान लिया है कि भारत कार्यालय पुस्तकालय की पुस्तकें भारत और पाकिस्तान, दोनों में बांट दी जायं;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को किस आधार पर पुस्तकें दी जायेंगी; और

(ग) पाकिस्तान को दी जाने वाली पुस्तकों और अन्य वस्तुओं का क्या मूल्य है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). इस पुस्तकालय के भविष्य का सारा प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

भारत कार्यालय पुस्तकालय

*७१०. **श्री एम० एम० लिंगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके इंगलैण्ड जाने पर ब्रिटेन की सरकार क साथ भारत कार्यालय पुस्तकालय के हस्तान्तरण पर बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तक बातचीत की जा रही है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या इन पुस्तकों को ब्रिटेन ले जाने का खर्च भारत सरकार ने दिया था या कि ब्रिटिश सरकार ने ?

डा० एम० एम० दास : १९३५ से पहले सारा खर्च भारत सरकार देती थी । १९३५ से १९४७ तक यह खर्च ब्रिटिश सरकार करती थी परन्तु उसका कुछ अंश भारत सरकार देती थी ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या ब्रिटिश सरकार इस पुस्तकालय की सारी पुस्तकें लौटाने के विरुद्ध है और क्या वह कुछ पुस्तकें अपने पास ही रखना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : ब्रिटिश सरकार का विचार है कि यह पुस्तकालय एक इकाई के रूप में है और वह यह नहीं चाहती कि इस का बंटवारा हो जाय । उसका यह भी विचार है कि पुस्तकालय को इसी प्रकार रखना हो तो इंगलैण्ड में ही रखना चाहिए ।

श्री एन० एम० लिंगम : ब्रिटेन के जन सम्पर्क मंत्री ने हाउस आफ़ कामन्ज़ में निश्चित रूप से कहा है कि यह पुस्तकालय ब्रिटेन में ही रहे; इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में और बातचीत पुस्तकालय के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में हो रही है या कि प्रबन्ध के बारे में ?

डा० एम० एम० दास : बातचीत अभी चल रही है और मेरा विचार है कि इस समय मैं बातचीत का ब्यौरा नहीं बता सकूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि "मांचेस्टर गार्डियन" ने १६ मई, १९५५ को लिखा था कि यह पुस्तकालय रहना तो ब्रिटेन में ही चाहिए परन्तु इसका प्रबन्ध प्रमुख भारतीय तथा पाकिस्तानी विद्वानों के हाथ में रहना चाहिये ? इस सम्बन्ध में हमारी सरकार का क्या विचार है ?

डा० एम० एम० दास : हमारी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती कि यह पुस्तकालय लन्दन में ही रहे । हमारा विचार है कि इसका अधिकतर भाग भारत आना चाहिए ।

श्री रघुवीर सहाय : माननीय शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो यह सुझाव रखा था कि इस समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये भारत पाकिस्तान और इंगलैण्ड का एक सम्मेलन हो, उसके बारे में कोई विचार प्रकट किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : माननीय शिक्षा मंत्री ने तो केवल यह सुझाव दिया था कि इन तीन सरकारों के प्रतिनिधियों की एक तथ्य मालूम करने वाली समिति बनायी जाय ।

श्री हेडा : सभासचिव महोदय ने कहा है कि पुस्तकों और उन्हें ब्रिटेन ले जाने का खर्च भारत सरकार देती थी, तो ब्रिटेन की सरकार किस आधार पर इस पुस्तकालय की मालिक बनने की चेष्टा कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : हम यह नहीं कह सकते कि ब्रिटिश सरकार किस आधार पर यह दावा कर रही है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या सरकार की यह नीति है कि भारत कार्यालय पुस्तकालय की आय से प्राप्त स्टर्लिंग से ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

दिल्ली सड़क दुर्घटनायें

*७०५. **श्री डाभी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग १०० व्यक्ति मरते हैं और ५०० से अधिक बुरी तरह घायल होते हैं;

(ख) यदि हां, तो बम्बई और अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों की तुलना में दिल्ली में अधिक दुर्घटनायें होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). १९५४ में सड़क दुर्घटनाओं में ७६ व्यक्ति मरे और ६७९ घायल हुए थे । ये आंकड़े बम्बई के तदनुरूप आंकड़ों की तुलना में अधिक नहीं हैं । अहमदाबाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि पिछली जनवरी से दिल्ली में ६५ व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं ?

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य १९५५ का निर्देश कर रहे हैं तो उत्तर हां है ।

श्री डाभी : क्या दिल्ली की सड़क दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है कि बहुधा साइकिल चलाने वाले ऐसी साइकिलों पर चलते हैं जिनमें न तो घंटी होती है और न बत्ती और कभी-कभी तो वे सारे परिवार को उसी पर ले जाते हैं ?

श्री दातार : उत्तर काफी सही है और सरकार इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री ए० एम० थामस : पिछली बार जब गृह मंत्रालय की मांगें चर्चा के लिये रखी गई थीं, तो दिल्ली यातायात पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाये गये थे । क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

श्री दातार : सरकार मौन क्षेत्रों, एक-मार्ग यातायात और अन्य कार्यवाही करके ऐसी दुर्घटनाओं में कमी करने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर रही है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय उपमंत्री ने कहा कि दिल्ली में दुर्घटनाओं की दर बम्बई से अधिक नहीं है । क्या मैं बम्बई और दिल्ली के सापेक्ष आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री दातार : मैं बम्बई के आंकड़े देने को तैयार हूं । १९५४ में बृहत्तर बम्बई में १३,७६५ दुर्घटनायें हुई थीं जिनमें १९६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ३,९२५ व्यक्तियों के चोटें लगी थीं ।

नौ-सेना के अस्पताल

*७०६. **श्री इब्राहीम :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों में नये और आधुनिक नौ-सेना के अस्पताल स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब तक; और

(ग) उनके प्रतिष्ठापन पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) विज़गापटम में लगभग दो या तीन वर्षों में ।

(ग) ३.८ लाख रुपया कर्मचारियों के वेतन, औषधियों, सामान और अस्पताल के वस्त्र और राशन के लिये प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय तथा ११.४ लाख रुपया इमारतों के प्रारम्भिक निर्माण पर अनावर्तक व्यय होगा ।

श्री इब्राहीम : भारतीय पत्तनों में क्या डाक्टरी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां तक नौ-सेना का सम्बन्ध है, इस समय हमारे पास बीमारों के लिये एक स्थान है । स्वाभाविक है कि अस्पतालों में जैसा विशेष उपचार उपलब्ध होता है, वहां नहीं है । अतः वे थल सेना द्वारा चलाये जाने वाले अन्य अस्पतालों में उपचार के लिये जाते हैं । जिस कार्यक्रम का मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, इसके अधीन हम नौ-सेना को भी थल सेना के समान ही डाक्टरी सुविधायें देने का विचार रखते हैं ।

श्री इब्राहीम : क्या विद्यमान अस्पतालों का ही विस्तार किया जायेगा अथवा नये अस्पताल स्थापित किये जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमने पहले ही वहां एक अस्पताल बनवाने का कार्य हाथ में ले रखा है। इसी प्रकार, आगामी ३ या ४ वर्षों के अन्दर कोचीन में भी ऐसा ही किया जायेगा।

डा० रामा राव : क्या नौ-सेना के अस्पताल वणिक नौवहन के लिये भी होगा ?

सरदार मजीठिया : नहीं, यह पूर्णरूपेण रक्षा कर्मचारियों—विशेष रूप से नौ-सेना —के लिये है।

निर्वाचक पदाधिकारियों का सम्मेलन

*७०७. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में श्रीनगर में हुए निर्वाचक पदाधिकारियों के सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ख) क्या निश्चय किये गये ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) तथा (ख). श्रीनगर में हुए निर्वाचन पदाधिकारी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न मामलों के बारे में विचारों का परस्पर विनिमय था। उस सम्मेलन में रीतिवत कोई निश्चय नहीं किया गया।

श्री हेम राज : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमालय प्रदेश का अधिकांश भाग अक्तूबर से जून तक बर्फ से ढका रहता है, तथा साधारणतः निर्वाचन दिसम्बर और जनवरी में होते हैं, उन दिनों निर्वाचन करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

श्री विश्वास : वास्तव में, निर्वाचन की तारीख के विषय में कुछ निश्चय नहीं हुआ था। सामान्य राय यह थी कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों दोनों के लिये निर्वाचन एक साथ ही होना चाहिये।

श्री ए० एम० थामस : क्या दो लोक प्रतिनिधित्व विधेयकों के सामान्य रूपों पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई और यदि हां, तो क्या इन विधेयकों पर अन्तिम निर्णय करने के लिये उनके दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया गया था ?

श्री विश्वास : इन विधेयकों पर पहले ही अन्तिम निर्णय हो चुका था किन्तु ये सारी सिफारिशें उस सम्मेलन के समक्ष रखी गई थीं और उन पर चर्चा हुई थी।

श्री हेडा : क्या इस सम्मेलन के पश्चात् आगामी साधारण निर्वाचन के लिये सम्भावित तारीख के विषय में सरकार को सम्मेलन का दृष्टिकोण बताया गया था ?

श्री विश्वास : जी नहीं, श्रीमान्। इसका निर्णय तो सरकार करेगी।

श्री हेम राज : इस बात को ध्यान म रखते हुए कि पिछले साधारण निर्वाचन म पहाड़ी क्षेत्रों में चुनाव केन्द्र मतदाताओं क घरों से ४०–५० मील दूर रखे गये थे, इस बार क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

श्री विश्वास : ये सब कठिनाइयां विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई थीं। उन पर विचार किया जायेगा।

सामुदायिक परियोजनाओं का विकास

*७११. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक परियोजना केन्द्रों में एक साथ किये जाने वाले सर्वतोमुखी विकास कार्य के सम्बन्ध में परियोजना केन्द्रों में के क्षेत्रों के भतर्वीय परिमाप की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा उपमत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : एक विवरण सभा पटल पर

रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री विश्व नाथ राय : विवरण को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सामुदायिक परियोजना के किसी क्षेत्र को भारत के भूतत्वीय परिमाप से अब तक कोई लाभ पहुंचा है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां, श्रीमान् । १९५३ में मध्य प्रदेश में रायपुर ग्रामीण तथा नगरीय सामुदायिक परियोजना को देखने भारत के भूतत्वीय परिमाप का एक उच्च पदाधिकारी गया था । १९५३–५४ में यू० पी० में मेरठ ज़िले की गंगा खादर बस्ती के क्षेत्र का दौरा भी विरल लवण (रेयर साल्ट्स) खनिज पदार्थों के आयात तथा भूमितल पानी के साधनों सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये किया गया था ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या जिन क्षेत्रों का अभी अभी उल्लेख किया गया उनका केवल पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया अथवा उनका परिमाप भी हुआ था ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत के भूतत्वीय परिमाप के उच्च पदाधिकारियों द्वारा उनका दौरा परिमाप करने की दृष्टि से किया गया था ।

श्री बी० के० दास : सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में जो भूतत्वीय परिमापकार्य किया जाने वाला है क्या वह सामुदायिक परियोजना के एक मद के रूप में किया जायेगा अथवा भूतत्वीय विभाग द्वारा उसको अलग से किया जायेगा ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जैसा कि मैं पहले ही विवरण में बता चुका हूं, भूतत्वीय परिमाप विभाग का प्रमुख प्रयोजन सम्पूर्ण देश का भूतत्वीय परिमाप करना है । यदि किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी निकाय द्वारा भारत के भूतत्वीय परिमाप से विशेष आवेदन किया जाता है, तो वह उनकी अवश्य सहायता करता है ।

भारतीय नौ-सेना का बेड़ा

*७१३. **डा० रामा राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में प्रशिक्षण अभ्यास के लिये भारतीय नौ-सेना के बेड़े के कुछ जहाज़ों को भूमध्य सागर भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यास कितने समय तक हुए ; और

(ग) अभ्यास में और किन किन देशों ने भाग लिया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) आठ सप्ताह ।

(ग) केवल ब्रिटेन ने ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह सच है कि जब ये जहाज़ इस अभ्यास के लिये जा रहे थे, तो दो जहाज़ टकरा गये और यदि हां, तो कितनी हानि हुई ?

सरदार मजीठिया : आगे एक और प्रश्न है । मैं इसका उत्तर उस प्रश्न का उत्तर देते समय दूंगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि हमारे दो जहाज़ हमारे पत्तनों को निश्चित समय से पूर्व आ गये थे, और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सरदार मजीठिया : यह उसी प्रश्न से सम्बन्धित है । दो जहाज़ों के साथ एक दुर्घटना हो गई थी । कुछ मरम्मत के लिये उन्हें बम्बई लौट आना पड़ा । यह मरम्मत करवाने के

पश्चात्, वे भी भूमध्य सागर के अभ्यास में सम्मिलित हो गये यद्यपि कुछ देर से ।

अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्

*७१५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् ने ७ मई, १९५५ को हुई परिषद् की बैठक में देश में क्रीड़ा और खेलों के पुनर्संगंठन के सम्बन्ध में एक टिप्पणी परिचालित की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियायें हुई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) परिषद् की स्थायी समिति की ओर से एक टिप्पणी परिचालित की गई थी ।

(ख) साधारणतः सरकार सहमत है किन्तु निर्णय ठोस प्रस्थापनाओं पर ही, जब वे प्रस्तुत किये जायेंगे, हो सकेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस टिप्पणी में कहीं पर यह भी संकेत किया गया है कि क्रीड़ा परिषद् के तत्वावधान में चलाई जाने वाली एक विशद योजना प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये होनी चाहिए ?

डा० एम० एम० दास : टिप्पणी व्यापक है और उसमें भारत के खेलों और क्रीड़ाओं सम्बन्धी सभी पहलू आ जाते हैं । इसमें यह भी बताया गया है कि इस मामले में सरकार को भविष्य में कैसी नीति अपनानी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : इसमें सभी पहलू भले ही आ गये हों । मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या इस टिप्पणी में प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों दोनों के प्रशिक्षण संगठन के मूल पहल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

डा० एम० एम० दास : यह टिप्पणी कई साइक्लोस्टाइल किये हुए पन्नों में है । माननीय सदस्य यदि चाहें, तो मैं एक प्रति उनके लिये भेज सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसे सभा पटल पर रखने में उन्हें कोई आपत्ति है ?

डा० एम० एम० दास : निश्चय ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने शारीरिक संवर्द्धन राष्ट्रीय संस्था बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : यह प्रस्थापना विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : जिस टिप्पणी विशेष का मैं उल्लेख कर रहा था उसके अधीन क्या विभिन्न राज्यों के क्रीड़ा निकाय इस योजना में रखे जायेंगे अथवा यह योजना केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में कार्य करेगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सारी योजना अभी तैयार नहीं हुई है । टिप्पणी में कुछ सुझाव दिये गये थे । वे विचाराधीन हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार योजना पर अन्तिम निर्णय होने से पूर्व क्रीड़ा परिषद् से बाहर के उन लोगों से परामर्श लेने का विचार रखती है, जो क्रीड़ा सम्बन्धी कुछ जानकारी रखते हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : क्रीड़ा परिषद् एक प्रतिनिधिक निकाय है और सरकार क्रीड़ा परिषद् से बाहर के किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने का विचार नहीं रखती ।

तामलुक में खुदाई

*७१६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करें।

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर जिले के तामलूक नगर में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई का काम बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण;

(ग) वहां पर जो सिक्के और अन्य वस्तुएं मिली हैं, क्या उनकी जांच की गई है ?

(घ) यदि हां, तो वे किस काल की हैं; और

(ङ) खुदाई का काम कितने स्थानों में किया गया था और भूमि कितनी गहराई तक खोदी गई थी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) खुदी हुई खन्दकों से स्थान की हालत देख कर, इस कार्य को जारी रखना अनावश्यक समझा गया है ।

(ग) कुछ की जांच की गई है और अन्य वस्तुओं की की जा रही है ।

(घ) नवपाषाणयुग से आधुनिक काल तक की, परन्त ऐसा मालूम होता है कि बीच बीच में वहां कोई नहीं रहा है ।

(ङ) सात खन्दकें खोदी गई थीं । इन सब को प्राकृतिक मिट्टी की तह तक खोदा गया था, जिसकी औसत गहराई १३ फुट थी।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने माना है कि इस खुदाई का सम्बन्ध नव-पाषाण युग, कुंभ युग और अन्य युगों से है, जो कि उन युगों से पुराने हैं, जिनके सम्बन्ध में देश के अन्य भागों में खुदाई हो रही है । मैं जान सकता हूं कि खुदाई ज़िले के अन्य भागों में क्यों की जा रही है और ताम्रलिप्ता में क्यों नहीं ?

डा० एम० एम० दास : एक प्रस्थापना यह है कि मिदनापुर ज़िले के पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों का सर्वेक्षण किया जाय और यदि वर्तमान स्थान से अधिक अच्छे स्थान मिले, तो वहां खुदाई की जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि महाभारत के युग के स्थान ताम्रलिप्ता में खुदाई अधिक नहीं की जायेगी जबकि मिदनापुर के अन्य स्थानों में की जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : खुदाई से पता चला है कि ताम्रलिप्ता के समीप जो स्थान हैं बाद में खोदा-खादी की गई है, क्योंकि वहां तालाब खोदे गये थे । ऐसा मालूम होता है कि बीच बीच में वहां कोई नहीं रहा है । अतः हम अधिक अच्छे स्थान ढूंढ रहे हैं ।

संस्कृत-शिक्षा

*७१७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने संस्कृत-शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में अपनी राय अब तक दी है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी रायों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में उसका क्या विचार है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) निम्नलिखित राज्यों ने उत्तर दे दिये हैं :

कच्छ, मद्रास, मैसूर, कुर्ग, राजस्थान. भोपाल, आंध्र और विन्ध्य प्रदेश ।

(ख) नहीं, जी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसी अवधि निर्धारित की गई है, जिसके अन्दर प्रान्तीय सरकारें अपनी सम्मति दे देंगी और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में कोई अवधि नहीं निर्धारित की जा सकती है । हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं । उनमें से कुछ का जवाब आ गया है और जिनका नहीं आया है, उनको हम ने याद-दिहानी की है । जब उनका जवाब भी आ जायेगा, तो उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि संस्कृत सरीखी महान् और उच्च भाषा को राज्य का पूरा समर्थन प्राप्त न होने के कारण उसके छात्रों की संख्या घटती जा रही है, इसलिये क्या गवर्नमेंट इस विषय में शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : साहित्य अकादमी के संस्कृत के एडवाइज़री बोर्ड का जो रेज़ोल्यूशन आया था, उसके मुताबिक हम ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा था । उनका जवाब आने पर इस विषय पर विचार किया जायगा । संस्कृत एक बहुत पुरानी भाषा है और हम भी चाहते हैं कि उसका अच्छी तरह से विकास हो ।

सेठ गोविन्द दास : क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं और विद्वानों की भी सहायता ली है और सलाह ली है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह तो दूसरा प्रश्न है ।

श्री तिम्मय्या : क्या राज्यों के किन्हीं संस्कृत कालिजों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्री डाभी : उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां माध्यमिक श्रेणियों में संस्कृत अनिवार्य विषय है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहिए ।

फायर सर्विस कालेज

*७१९. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक फायर सर्विस कालेज खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर खोला जायेगा ?

(ग) क्या इस समस्या का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ङ) इस समिति पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश में रामपुर में ।

(ग) जी हां ।

(घ) समिति की सिफ़ारिशों का संक्षेप सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ङ) लगभग दो हज़ार चार सौ रुपये ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : यह कब खोला जायेगा ?

श्री दातार : कुछ महीनों के अन्दर ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास

*७२२. **श्री तुलसीदास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश या हिदायतें जारी की गई हैं कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए सुझाई गई योजनाओं में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दें;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). स्वयं राज्यों से आशा की जाती है कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दें और तदनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्थापनाएं बनायें। केन्द्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट हिदायतें जारी नहीं की हैं।

श्री तुलसीदास : क्या उत्तर महसाना और भूतपूर्व बड़ोदा राज्य को पिछड़े हुए क्षेत्र माना गया है ?

श्री दातार : मैं यह नहीं कह सकता कि वे पिछड़े हुए क्षेत्र में हैं या नहीं, किन्तु यह केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व नहीं है। पिछड़े हुए क्षेत्रों का सुधार करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को हिदायतें भेजी हैं कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनायें ?

श्री दातार : पिछड़ी हुई जातियों संबंधी आयोग की सिफ़ारिश को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न अब विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सूची तैयार की है कि प्रत्येक राज्य में कौन से इलाके हैं जो वास्तव में बैकवर्ड हैं और जिनका विशेष प्रकार से विकास किया जाना चाहिए ?

श्री दातार : इससे गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या राज्य सरकारों से पिछड़े हुए क्षेत्रों की कोई सूची मांगी गई है और यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री दातार : यही मैं ने कहा था। जहां तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उत्तरदायित्व राज्यों का है और मुझे विश्वास है कि अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में वे ऐसे क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखेंगे।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

*७२४. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की एक योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना इस समय किस अवस्था में है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां। उन स्थानों पर जहां मकान मिलना कठिन है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के नॉन-गजटेड कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का निर्णय किया गया है। उड़ीसा में कटक और सम्बलपुर में कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) इन स्थानों में ये मकान बनाने के लिये स्थान चुने जा रहे हैं।

श्री संगण्णा : बीच के समय में उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें मकानों की

समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या सहायता दी गई है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । ऐसे मामलों में सरकार इस के सिवा और क्या सहायता दे सकती है कि उनके लिये राज्य सरकारों की सहायता से कुछ मकान ढूंढे ?

श्री संगण्णा : इस योजना का विस्तार और इस पर अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : यह योजना सारे भारत के लिये है और हम परिक्षेत्राधिकारियों (रेंज आफीसर्स) के लिये कुछ मकान लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार में कुल खर्च कई करोड़ रुपये होगा । हम ने १० लाख रुपये भूमि का अर्जन करने के लिये रखा है किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि सारी योजना कब पूरी होगी, क्योंकि यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर निर्भर है ।

श्री एन० बी० चौधरी : उन दो स्थानों के अतिरिक्त जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, क्या उड़ीसा के तम्बाकू उगाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों को मकान देने की कोई प्रस्थापना सरकार के सामने है ?

श्री ए० सी० गुह : यही मैं ने कहा है कि हमारा विचार यह है कि परिक्षेत्राधिकारियों (रेंज आफीसर्स) को अर्थात् उन निरीक्षकों को जो ग्रामों में तम्बाकू के सम्बन्ध में काम करते हैं कार्यालय व निवास स्थान दिलाय जाय ।

श्री संगण्णा : क्या यह काम सरकारी अभिकरण द्वारा होगा या किसी अन्य अभिकरण द्वारा ?

श्री ए० सी० गुह : स्वाभाविकतया सरकारी अभिकरणों द्वारा । इमारतें बनान का काम हम गैर-सरकारी अभिकरणों पर नहीं छोड़ सकते । यह काम केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा ।

हैदराबाद को ऋण

*७२५. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद सरकार ने राज्य पुलिस बल के लिये बैरकें आदि बनाने के लिये ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मांगा गया है और इस विषय में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) पांच वर्ष की अवधि में २.३५ करोड़ रुपये ।

राज्यों में पुलिस बलों के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने का सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री पी० रामस्वामी : क्या ये बैरक्स पुलिस आफिसर्ज़ के लिये ही बनाई जाती हैं या कांस्टेबलों के लिये भी हैं ? अगर वे दोनों के लिये है, तो इनमें कितनी आफिसर्ज़ के लिये और कितनी कान्स्टेबलों के लिये है और उनकी कीमत क्या है ?

श्री दातार : यह ब्यौरा देना अभी संभव नहीं है, किन्तु सरकार कांस्टेबल और अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भी मकानों की उचित व्यवस्था करना चाहती है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या अन्य राज्यों ने इस प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं और क्या उन से भी प्रस्थापनाएं मांगी गई हैं ?

श्री दातार : वास्तव में इस वर्ष के आरम्भ में हुए गृहमंत्रियों के सम्मेलन में इस अभिप्राय की प्रस्थापना की गयी थी । इस

प्रश्न के सम्बन्ध में सब राज्यों से पूछा गया था कि उन्हें इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि चाहिए । उन के उत्तर हमें प्राप्त हो चुके हैं और मामला अब सरकार के और विशेषतया योजना आयोग के विचाराधीन है ।

श्री हेडा : हैदराबाद के पुलिस बल के लिये स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस प्रस्थापना को अन्तिम रूप कब देगी ?

श्री दातार : यथासंभव शीघ्र ।

सम्पत्ति शुल्क

*७३०. **श्री डाभी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर जांच आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पहले की दो वर्ष की कालावधि को, जिसमें कि उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाने वाली भेंट पर सम्पत्ति शुल्क लग सकता है, बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब कार्यान्वित की जायेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है किन्तु कर जांच आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस सिफारिश पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री डाभी : इस कालावधि में वृद्धि की जाने के पक्ष में कर जांच आयोग द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : ये आयोग के प्रतिवेदन में दिये हुए हैं । माननीय सदस्य कर जांच आयोग के प्रतिवेदन की जिल्द २ के पृष्ठ २४८ पर पैरा २४८ देखें ।

श्री एल० एन० मिश्र : पिछले वर्ष सम्पत्ति शुल्क से कितनी आय हुई ? क्या यह प्राक्कलन के अनुसार थी या प्राक्कलन से कम ?

श्री एम० सी० शाह : आय प्राक्कलित राशि से कम थी । ३१ मार्च, १९५५ तक १,२५,२६,७५७ रुपये प्राप्त हुए ।

श्री बी० के० दास : क्या इस प्रकार की किसी भेंट पर अब तक सम्पत्ति शुल्क लगा है ?

श्री एम० सी० शाह : इसके लिये तो उन सब मामलों को देखना पड़ेगा--जिनकी संख्या लगभग १,६४० है--जो अब तक निबटाये गये हैं । हम ने प्राधिकारियों को पहले ही यह निदेश दे दिये हैं कि यदि इस उपबन्ध के कारण कोई अपवंचन हो तो इसकी सूचना हमें दी जाये ।

श्री एन० बी० चौधरी : सरकार को कर जांच आयोग के प्रतिवेदन पर अपनी राय देने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री एम० सी० शाह : ठीक ठीक समय तो मैं बता नहीं सकता; हां, हम भी इस बात के लिये उत्सुक हैं कि जो सिफारिशें स्वीकार कर ली जायें उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये ।

पुनर्नियोजन

*७३१. **श्री इब्राहीम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५५ को ऐसे निवृत्त आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या कितनी थी जिन्हें भारत सरकार द्वारा पुनः नौकर रखा गया; और

(ख) इस समय वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

श्री इब्राहीम : निवृत्ति वेतन के अतिरिक्त इन पदाधिकारियों की वर्तमान उपलब्धि क्या है ?

श्री दातार : यह भिन्न-भिन्न है। परन्तु उनकी उपलब्धि निश्चित करते समय उनको मिलने वाले निवृत्ति-वेतन को भी ध्यान में रखा जाता है। और जो वेतन निश्चित होता है उसमें से निवृत्ति-वेतन निकाल दिया जाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या आई० सी० एस० पदाधिकारियों की पुरानी सेवा-शर्तों के पुनः तैयार किये जाने की कोई प्रस्थापना है, और यदि है, तो वे किस प्रकार पुनः तैयार की जायेंगी ?

श्री दातार : ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या निवृत्त आई० सी० एस० पदाधिकारियों को पुनः नौकर रखना वांछनीय होगा जबकि अन्य लोग भी मिल सकते हैं ?

श्री दातार : सरकार ऐसे लोगों को असाधारण मामलों में ही पुनः नौकर रखती है, विशेषरूप से ऐसे महत्वपूर्ण और अत्याधिक उच्च प्रशासनात्मक पदों पर जिनमें पहला अनुभव होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे सब मामलों में, जब कभी किसी ऐसे पदाधिकारी को पुनः नौकर रखने की प्रस्थापना होती है, मामला गृह-कार्य मंत्रालय की सहमति के लिये उसके पास आता है और वहां सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

भारतीय ओलिम्पिक संथा

*७३४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय ओलिम्पिक सन्था में से अपना प्रतिनिधि हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) सरकार समझती है कि इस निकाय की परिषद् के लिये प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री वी० पी० नायर : माननीय उपमंत्री ने कहा कि क्रीड़ा परिषद् सभी क्रीड़ा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। क्या यह सच नहीं है कि ओलिम्पिक सन्था ने अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् से अपना प्रतिनिधि हटा लिया है और यही कारण है कि सरकार ने भी ओलिम्पिक सन्था से अपना प्रतिनिधि हटा लिया ?

डा० एम० एम० दास : हो सकता है यह सच हो।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह विदित है कि अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् के बनने से पहले ओलिम्पिक सन्था में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने एक योजना पेश की और उसे स्वीकृत कराने का प्रयत्न किया और जब वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका तो अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् की रचना हुई ?

डा० एम० एम० दास : मुझे यह बात पता नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि विश्व क्रीड़ा समारोह में कोई भारतीय दल भारत का प्रतिनिधित्व तब तक नहीं कर सकता जब तक कि भारतीय ओलिम्पिक सन्था ऐसे दलों की सिफारिश न कर दे ।

डा० एम० एम० दास : हो सकता है यह सच हो, परन्तु इसका यहां क्या सम्बन्ध है ?

शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी

*७३५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था, किरकी, में उसकी स्थापना के बाद से कितने टैक्नीकल कर्मचारीवर्ग पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ख) सेवा में रक्षा विज्ञान के बुनियादी ज्ञान का प्रसार करने के लिये संस्था ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १० ।

(ख) इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण काम टेक्नीकल कर्मचारीवर्ग पदाधिकारियों का प्रशिक्षण है । संस्था सेना के विभिन्न अभ्यासों में भी भाग लेती हैं और विभिन्न सेना-संस्थापनों में वहां की समस्याओं का वहीं पर अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिकों को भेजती है । वैज्ञानिक विषयों पर गोष्ठियां और चर्चायें भी समय-समय पर होती हैं, जिनमें और लोगों के साथ सेना भी भाग लेती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों के किन वर्गों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें क्या लाभ पहुंचता है ?

सरदार मजीठिया : मैं समझा नहीं कि शब्द वर्ग से उन का अभिप्राय क्या है पर जैसा मैं ने बताया, इस संस्था में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । अन्य पाठ्य-क्रमों के अलावा आस्त्रक्षेपिकी (बॉलिस्टिक्स) भी उनकी पढ़ाई का एक विषय है । वे इस बात की जांच करते हैं कि विभिन्न दशाओं में हथियार किस प्रकार चलते हैं और यह सब खोज हथियारों और उनकी टकनीक को सुधारने के लिये की जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह संस्था भारत के ऐसे मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करती है, जिनमें ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था है ?

सरदार मजीठिया : विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी गोष्ठियों में भाग लेते हैं और इस प्रकार वे साथ-साथ चलते हैं । पर वे इस संस्था का एक अंग नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि लेख छापकर परीक्षण के लिये विभिन्न वज्ञानिकों में बांटा जाता है ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने बताया, इसका सम्बन्ध सेना के हथियारों के विषय से है और वह विषय गुप्त कोटि में आता है, अतः जनता में उसका प्रचार नहीं किया जाता ।

श्री जोकीम आल्वा : चूंकि यह संस्था बिलकुल नई है, क्या पदाधिकारियों के चुनने में और उनको प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने में सावधानी रखी गयी थी ?

सरदार मजीठिया : निश्चय ही । यह संस्था १९५२ में चलाई गई थी और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण १९५३ में शुरू हुआ । परन्तु विदेशी प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे पदाधिकारी इन समस्याओं को समझ सकते हैं ।

वित्त निगम

*७३७. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार इस बात में सहमत हो गई है कि दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के साथ एक संयुक्त वित्त निगम बना ले ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : दिल्ली राज्य से राज्य वित्त निगम की प्रस्थापना के बारे में एक प्रस्ताव आया था । बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार को सलाह दी कि वह राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१, में संशोधन हो जाने के बाद, जिस बारे में कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, पंजाब सरकार के साथ एक संयुक्त वित्त निगम बना ले ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से किया है कि संयुक्त निगम बनाया जाये और दिल्ली और पंजाब राज्यों के अलग-अलग निगम न बनें ?

श्री ए० सी० गुह : केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक दोनों का ही यह अनुमान है कि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के लिये अलग राज्य वित्त निगम बनाने में बहुत लागत लगेगी । राज्य सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से हम ने अनुमान लगाया है कि ऋण औसतन केवल १० हजार रुपयों तक के ही होंगे और आवेदकों को न केवल ब्याज ही देना पड़ेगा, बल्कि तैयारी (प्रौसेसिंग) लागत भी देनी होगी, जो निश्चय ही ऐसे छोटे ऋणों में बहुत अधिक हो जायेगी । दिल्ली राज्य को पंजाब राज्य के साथ मिल कर काम करने की सलाह दी गयी थी और दोनों राज्यों के बीच कुछ बातचीत चलने के बाद अन्त में दिल्ली राज्य सरकार ने यह सुझाव मान लिया ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली में उद्योगों की बढ़ती हुई जरूरत और इस निगम के बनने के बाद यथासंभव सुविधायें देने की बात पर पूरा-पूरा विचार किया था ?

श्री ए० सी० गुह : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस सारे मामले पर दिल्ली सरकार वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने बात की थी । सभी संगत बातों पर विचार किया गया था, और बातचीत के बाद दिल्ली राज्य सरकार पंजाब सरकार के साथ ऐसा संयुक्त वित्त निगम बनाने को तैयार हो गई, जो दिल्ली राज्य की जरूरतों की व्यवस्था करने के लिये कुछ सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी और भाग 'ग' राज्य में अपना या किसी दूसरे राज्य के साथ कोई राज्य वित्त निगम है ?

श्री ए० सी० गुह : अभी किसी भी भाग 'ग' राज्य का अपना वित्त निगम नहीं है । अधिनियम भी दो राज्यों का संयुक्त वित्त निगम बनाने की आज्ञा नहीं देत, पर हम अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं, जिससे संयुक्त निगम बन सकें ।

अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह

*७३८. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : भारत सरकार ने शिक्षा-विशारदों की एक समिति नियुक्त की थी, जो अप्रैल, १९५५ में द्वीपसमूह की शिक्षा सम्बन्धी अवस्था का अध्ययन करने और वहां की मौजूदा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं

के विस्तार और सुधार के लिये अपनी रिपोर्ट देने के लिये वहां गयी थी । अभी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह में हिन्दी अध्यापकों की कमी है और यदि हां तो इसे कब दूर किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : हिन्दी अध्यापकों की कुछ कमी थी । इस सभा में पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था । उस प्रश्न का कुछ प्रचार हुआ और हमें पूरे भारत से बहुत से हिन्दी अध्यापकों के आवेदन मिले कि वे अन्दमान जाने को तैयार हैं । हम ने वे आवेदन अन्दमान के मुख्य आयुक्त के पास भेज दिये हैं, और उन्होंने नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों की एक सूची बना ली है ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्दमान और नीकोबार द्वीपसमूह के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं और यदि हां तो कितनी ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री धुलेकर : क्या भारत सरकार ने वहां पर कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन कर दी है ?

डा० एम० एम० दास : उस स्थान के स्वरूप और वहां की निवासी आदिमजातियों के कारण वहां पर अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा शुरू करना मुश्किल है । अंदमान में केवल २४ प्राइमरी स्कूल हैं ।

श्री मात्तन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग त्रावणकोर कोचीन से ले जाकर वहां बसाये गये हैं, क्या उनको मलयालम सिखाने के लिये कुछ व्यवस्था की गई है ।

डा० एम० एम० दास : यदि पूर्व सूचना दी गयी, तो मैं इसका उत्तर खुशी से दूंगा ।

सूखे क्षेत्र मंत्रणा समिति

*७३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूनेस्को की सूखे क्षेत्र संबंधी मंत्रणा समिति का सदस्य है ।

(ख) क्या मंत्रणा समिति की सिफारिश पर जोधपुर के जसवन्त कालेज को १९५२ में यूनेस्को के 'एसोसियेटिड' सहकारी का दरजा दिया गया था;

(ग) यदि हां, राजस्थान के क्षेत्र को इससे कितना लाभ पहुंचा ; और

(घ) अनुसन्धान कार्य करने के लिये जसवन्त कालेज को अब तक कितनी टैक्नीकल सहायता मिली है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जसवन्त कालेज में यूनेस्को की सहायता से जो अनुसन्धान कार्य शुरु किया गया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है और इसलिये अभी इससे हुए लाभों का पता लगाना संभव नहीं है ।

(घ) कालेज को यूनेस्को से सूखे क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में अनुसन्धान सम्बन्धी खास खास रिपोर्टें मिली हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या जसवन्त कालेज के अनुसन्धान कार्य में कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी नहीं, जहां तक हमें सूचना मिली है. वहां कोई भी विदेशी विशेषज्ञ नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान के सूखे क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे लगाये जायेंगे, जिन बारे में अनुसन्धान हो रहा है ?

डा० एम० एम० दास : अनुसन्धान कार्य चल रहा है, और जब तक वह पूरा न हो, यह कहा नहीं जा सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी पौधों पर प्रयोग किये जा रहे हैं या स्थानीय पौधों पर ?

डा० एम० एम० दास : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची अब पूरी हो गई । अब हम उन प्रश्नों को लेंगे, जिन के प्रश्नकर्ता उपस्थित न थे और जिन प्रश्नों का अधिकार पत्र (अथोरिटी) दे दिया गया है ?

करारोपण सम्बन्धी गवेषणा

*७०९. **श्री जोकीम आल्वा (श्री गिडवानी की ओर से)** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय करों के लगाये जाने और इकट्ठे किये जाने के बारे में सरकार द्वारा कुछ गवेषणा कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में इस बारे में कितना व्यय किया गया था; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर 'न' में हो, तो क्या सरकार ऐसी कोई संस्था शुरू करना चाहती है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). भारत में केन्द्रीय करों के लगाने और इकट्ठा करने के काम में गवेषणा सम्बन्धी कोई विशेष संस्था नहीं है पर इन बातों को सामान्य रीति से ही ध्यान में रखा जाता है और जांच की जाती है । फिर भी करारोपण जांच समिति ने सिफारिश की है कि एक कर-गवेषणा ब्यूरो बनाया जाये और यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या पदाधिकारियों की कमी या इमारत की जगह की कमी के कारण यह खोज विभाग अब तक नहीं बन सका है ? क्या सरकार समझती है कि अब केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की इमारत बन चुकने के बाद इस प्रकार का विभाग खोलने का समय आ गया है ?

श्री बी० आर० भगत : अब तक यह सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी थी । पर सिफारिश पर विचार किया जा रहा है और जब तक इस प्रश्न का कोई फैसला नहीं होता, तब तक के लिये यह फैसला किया गया है कि समय समय पर आय कर आदि की विधियों में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले राजस्व सम्बन्धी तथा अन्य परिणामों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में एक छोटा सा गवेषणा केन्द्र खोला जाये ।

श्री जोकीम आल्वा : चूंकि सरकार ने करारोपण विभाग में जन संपर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं, तो क्या वे यह आवश्यक नहीं समझते कि यह गवेषणा-विभाग तुरन्त बनाया जाये ?

श्री बी० आर० भगत : इस पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित आदिम जातियां

*७२९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (श्री कामत की ओर से)** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण २ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं के पूरे किये जाने के सिलसिले

में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये सहायता-अनुदानों में से कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ख) मंजूर की गयी पूरी राशि काम में क्यों नहीं लाई गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि १९५४–५५ में मंजूर किये गये २८ लाख रुपये के केन्द्रीय सहायता-अनुदान की पूरी राशि काम में लाई गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मध्य प्रदेश के अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिये अधिक अनुदान दिये जायेंगे ?

श्री दातार : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, चालू वर्ष के लिये हमने अधिकतम सीमा ३७ लाख रुपये रखी है और वास्तव में ३३,५८,००० रुपये दिये जा चुके हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन योजनाओं से अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

श्री दातार : यह कहना बहुत कठिन है कि कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा । इससे अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत बड़े भाग को लाभ पहुंचेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : लगभग संख्या क्या है ?

श्री दातार : राज्यानुसार यह बताना बहुत कठिन है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं प्रश्न संख्या ७३२ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य के पास अधिकार-पत्र है ?

श्री भक्त दर्शन : हां, श्रीमान् ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

*७३२. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधार-सामग्री प्राप्त करने और भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार करने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने राज्यों ने सम्पादक बोर्ड को सहयोग प्रदान किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सम्पादक बोर्ड ने, जिसे इतिहास तैयार करने का कार्य दिया गया है, बहुत अधिक सामग्री एकत्रित की है और ऐसी सामग्री वे अब भी एकत्रित कर रहे हैं ।

बोर्ड ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रथम रूप का प्रारूप सन्तुलित ब्यौरा भी तैयार कर लिया है । अब वह दूसरे रूप का सन्तुलित ब्यौरा तैयार कर रहा है ।

(ख) २५ ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से मालूम पड़ता है कि कुल २५ राज्यों में से कम से कम दो या तीन ने अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं वह कौन से राज्य हैं जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है ।

डा० एम० एम० दास : मेरे पास उन राज्यों की एक नामावली है जिन्होंने प्रादेशिक संस्थायें स्थापित की हैं । मुझे उसका अध्ययन करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वे उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है ।

डा० एम० एम० दास : यदि मुझे नामावली का अध्ययन करना पड़ता है, तो इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि यह उन २९ राज्यों

की नामावली है जिन्होंने प्रादेशिक संस्थायें स्थापित की हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से प्रयत्न किया जा रहा है, और क्या यह आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष तक जब कि सन् १९५७ में हमारे स्वाधीनता संग्राम के १०० वर्ष पूरे होने वाले होंगे, यह पूरा कर दिया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : अब तक, हमने १८५७ के तथाकथित सैनिक विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए एक विद्वान को नियुक्त किया है । मेरा ख्याल है कि वह पुस्तक लगभग एक वर्ष में समाप्त हो जायेगी ।

श्री एस० एल० सक्सेना : क्या इस समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे १९४२ के आन्दोलन से संबद्ध राजनीतिक मामलों के रिकार्डों को उचित अध्ययन के लिये और इस इतिहास को उचित रूप में लिखने के लिये सुरक्षित रखें ?

डा० एम० एम० दास : राज्य सरकारों ने उन्हें बड़ी सावधानीपूर्ण रखा है, और संस्थायें उन रिकार्डों की जांच कर रही हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा अभिप्राय न्यायालय संबंधी मामलों के रिकार्ड से है मुझे बताया गया है कि वे नष्ट कर दिये गये हैं ।

डा० एम० एम० दास : न्यायालयों में?

श्री एस० एल० सक्सेना : जी, हां ।

डा० एम० एम० दास : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री अच्युतन : क्या हम यह जान सकते हैं कि यह इतिहास कितने समय में पूर्ण हो जायेगा, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह किन किन भाषाओं में लिखा जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : सर्व प्रथम यह अंग्रेजी में लिखा जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

• पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन का भारतीय निर्यात व्यापार और अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) भारतीय जूट के बने सामान से निर्यात शुल्क हटा देने के कारण भारतीय राजकोष को कितनी हानि होगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) भारतीय निर्यात व्यापार और अर्थ-व्यवस्था पर पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के सम्भावित प्रभाव ये होंगे :—

(१) जिन वस्तुओं में भारत और पाकिस्तान समुद्रपार निर्यात बाजारों में एक दूसरे के स्पर्धक हैं, अर्थात्, जूट और कच्ची रुई, पाकिस्तान से और भी गम्भीर स्पर्धा होगी;

(२) जिन वस्तुओं को भारत पाकिस्तान से मंगाता है वे भारतीय आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सस्ती पड़ेंगी; और

(३) वे वस्तुयें जिन्हें पाकिस्तान भारत से मंगाता है वे पाकिस्तानी आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं को महंगी पड़ेंगी ।

ये प्रभाव आंशिक रूप में या समूचे रूप में पाकिस्तान में प्रचलित मूल्यों में वृद्धि होने से या किसी अन्य कार्यवाही से, जैसे, मूल्य नियन्त्रण या पाकिस्तान के निर्यात शुल्क में वृद्धि से, जिससे पाकिस्तानी माल के मूल्य में वृद्धि होगी, प्रभावहीन हो सकते हैं ।

(ख) आय-व्ययक में ७१० लाख रुपये जमा की ओर दिखाये गये हैं; इस आधार पर शेष वर्ष के लिये आनुपातिक हानि लगभग ४५० लाख रुपये होगी । फिर भी, उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताये गये अवमूल्यन के सम्भावित प्रभाव की दृष्टि से यह गणना करना असम्भव है कि आय-व्ययक अनुमान के अनुसार कितनी प्राप्ति होती ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : भारत मुख्यत: किन किन वस्तुओं का पाकिस्तान से आयात करता है, और उनका अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम पाकिस्तान से मुख्यत: कच्चा जूट, कच्ची रुई और खाल व चमड़ा मंगाते हैं । आंकड़े विभिन्न वर्षों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न हैं । १९४८–४९ में लगभग १०९.३ करोड़ रुपये थे और १९४९-५०-५१ में घटकर वे ४४ करोड़ रुपये हो गये । १९५१–५२ में वे फिर ८७ करोड़ हुए और १९५४–५५ में पुन: घट कर १९.४ करोड़ रुपये रह गये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पाकिस्तानी चलार्थ के अवमूल्यन के पश्चात् क्या पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार सम्बन्धी समझौता करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री सी० डी० देशमुख : व्यापार सम्बन्धी समझौता का कार्य मेरे मंत्रालय में नहीं होता है; यह काम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में होता है । मैं नहीं जानता ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सच है कि सरकार ने जूट शुल्क इस पूर्वानुमान के आधार पर हटा दिया था कि पाकिस्तान में जूट का मूल्य गिरेगा ? क्योंकि पाकिस्तान में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप जूट का मूल्य नहीं गिरा है; क्या सरकार का यह ख्याल है कि शुल्क हटाने में उन्होंने जल्दी की ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह नहीं कहूंगा कि यह कार्यवाही जल्दी में की गई थी, क्योंकि हम यह नहीं जान सकते थे कि पाकिस्तान क्या करेगा । अत: हमारे लिये यह आवश्यक था कि हम उस सूचना के आधार पर जो हमें प्राप्य थी तथा जिसकी हमें आशा थी, निश्चय करते ।

श्री जी० डी० सोमानी : क्या सरकार ने उस प्रभाव पर विचार किया है, जो पाकिस्तान के चलार्थ के अवमूल्यन का, इस दृष्टि से कि पाकिस्तानी कच्ची रुई निर्यात बाजारों में भारत से स्पर्धा करने वाले देशों को सस्ती मिलेगी, इस देश से होने वाले कपड़े के निर्यात पर होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम ने इस पर विशेष दृष्टि से विचार नहीं किया है, परन्तु इन सब मामलों का निरन्तर पुनर्विलोकन होता रहता है और यदि हम देखते हैं कि घटनाओं के परिणामस्वरूप हमारी निर्यात की वस्तुओं के विक्रय में कठिनाइयां होती हैं, तो हमें यह विचार करना होगा कि क्या कार्यवाही की जाये ।

श्री हेडा : मैं जानना चाहता हूं कि, पाकिस्तान के साथ अपने निर्यात और आयात व्यापार तथा ऐसी सम्मिलित वस्तुओं का, जिनमें स्पर्धा है, हमारे निर्यात व्यापार और इसके अतिरिक्त, भारतीय व पाकिस्तानी रुपयों में गैरसरकारी बाजार दर का ध्यान रखते हुए, पाकिस्तान के रुपये के अवमूल्यन से हमें लाभ होगा या हानि ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह उस प्रश्न का पूछना है जिसका उत्तर मैं अन्य रूप में

दे चुका हूं । साधारणतया, मेरा ख्याल है कि कदाचित दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार होगा, क्योंकि अब समायोजनों मे वह चोर बाजार सम्बन्धी क्रिया, जो पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में हुई है, निरुत्साहित होगी, और वह निश्चय ही दोनों देशों के लिये लाभ है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : विगत तीन वर्षों में भारत ने पाकिस्तान से कितनी कच्ची रुई का आयात किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है कि यहां मेरे पास कच्ची रुई सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री साधन गुप्त : इस दृष्टि से कि वित्त मंत्री महोदय की युक्तियुक्त आशायें अनुचित सिद्ध हुई हैं, क्या निर्यात शुल्क फिर लगाया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि यह कहना ठीक है कि वे अनुचित सिद्ध हुई हैं । सम्भव है कि सकीर्ण दृष्टि में वे अनावश्यक प्रतीत हों, परन्तु यह उचित प्रतीत होता है कि कोई अग्रेतर कार्यवाही करने के पूर्व घटनाओं की प्रतीक्षा की जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

*७०८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये नियम किस आधार पर बनाये गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निम्न श्रेणी के क्लर्कों की उच्च श्रेणी के क्लर्कों के वेतन मान के लिये पदोन्नति के अतिरिक्त, जो ज्येष्ठा-सहित उपयुक्तता के आधार पर की जाती है, अन्य समस्त उच्च वेतन मानों में, कार्यपालिका और अनुसूचिनीय दोनों श्रेणियों में, पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफ़ारिशों से विशेषताओं के आधार पर प्रवरण द्वारा होती है । द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों सम्बन्धी विभागीय पदोन्नति समिति का सभापतित्व संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य करता है । तृतीय श्रेणी के अधिकारियों से सम्बद्ध विभागीय पदोन्नति आयोग का सभापितत्व केन्द्रीय उत्पादनकर का एकत्रीकरण अधिकारी करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का एक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उसका सदस्य होता है ।

तेल के कुएं

*७१२. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में नहरकटिया स्थित तेल के कूओं से कितना अशुद्ध तेल प्रतिदिन प्राप्त होता है; और

(ख) आयात किये जाने वाले अशुद्ध तेल के मूल्य की अपेक्षा इसका प्रति गैलन मूल्य कैसा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अंदमान

*७१४. **श्री राघवैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जो भारत से अंदमान प्रशासन

भेजे जाते हैं, ३३ १/२ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे लोगों को यातायात, क्वार्टर, आदि की सुविधायें मुफ्त दी जाती हैं;

(ग) क्या सरकार को स्थानीय लोगों से भेदभाव के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). हां ।

(ग) और (घ). स्थानीय लोगों को भी अंदमान विशेष वेतन देने के बारे में कुछ अभ्यावेदन आये थे । इस दृष्टि से कि भारत में नियुक्त किये गये लोगों को एक सीमित काल के लिये वहां कार्य करने के लिये लाया जाता है, वे अपने घरों से दूर रहते हैं और उन्हें बड़ी असुविधायें होती हैं, और प्रायः उन्हें द्विस्थापन करना होता है । अतः उन्हें अतिरिक्त भत्ता और विशेष सुविधायें दी जाती हैं ।

मुख्य अध्यापकों की गोष्ठी

*७१८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस ग्रीष्म अवकाश में प्रधानाध्यापकों, माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षण-अधिकारियों आदि की प्रादेशिक गोष्ठियां हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी गोष्ठियां हुई थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) चार (दार्जिलिंग, कोयम्बटूर, औरंगाबाद और रांची) ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*७२०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इसकी क्या सिफारिशें हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल के लिये एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की है ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

खनिज तेल के निक्षेप

*७२१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खनिज तेलों के नये निक्षेपों की खोज के लिये एक उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उन राज्यों के नाम जहां यह आरम्भ किया गया है तथा किन अभिकरणों द्वारा यह आरम्भ किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता ई । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

महिला शिक्षा

*७२३. **श्री सी० आर० नरसिंहन :** क्या **शिक्षा** मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना के ततीसवें अध्याय का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं को निजी रूप से अध्ययन करने तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों के रूप में उच्च परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं दे कर स्त्रियों की शिक्षा को उन्नत करने से सम्बन्धित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किस कार्यवाही के करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से है जो स्वायत्त निकाय हैं ।

भारत सिक्यूरिटी प्रेस

*७२६. **श्री बी० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि भारत सिक्यूरिटी प्रेस से गत तीन वर्षों में बहुत अधिक संख्या में करेन्सी नोटों की चोरी हुई है; और

(ख) कितने करेन्सी नोटों की चोरी हुई है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में करेन्सी नोटों की चोरी के केवल एक मामले की सूचना इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से दी गई है ।

२६ फरवरी, १९५५ को एक संख्यांकित ताव, जिसमें दस दस रुपये के चालीस नोट थे, चुरा लिया गया । यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया और उसने अब तक सात चलते हुए नोटों का पता लगाया है । सूचना मिली है कि पुलिस ने इन नोटों को जब्त कर लिया है । इस मामले में करेन्सी नोट प्रेस का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध प्रथम श्रेणी के रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, नासिक रोड की अदालत में मुकदमा चल रहा है ।

चोरी होने के तुरन्त बाद, रिजर्व बैंक को सभी खोये हुए नोटों की संख्याएं सूचित कर दी गयीं और उसने निर्गम-विभाग के अपने सभी कार्यालयों, सभी राजकोष-कार्यालयों और भारतीय राज्य बैंक को भी सूचना दे दी है । भविष्य में इस प्रकार की चोरियां न हों, इसलिये करेन्सी नोट प्रेस में सब प्रकार की सम्भव सतर्कतापूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है ।

भारत का राज्य बैंक

*७२७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अभ्यर्थियों की क्या संख्या है जिन्होंने इम्पीरियल बैंक के हिस्सों पर प्रतिकर के स्थान पर भारत के राज्य बैंक के हिस्सों के परिवर्तन के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : ८ अगस्त, १९५५ तक २५८ ।

अनिरसित केन्द्रीय अधिनियम

*७२८. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों को वर्णाक्रम से संकलित तथा प्रकाशित करने का विचार कर रही है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : जी नहीं ।

चिल्का झील

*७३३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चिल्का झील तथा इसके पश्चिम की पहाड़ियों का सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र के आधारभूत भूतत्वीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये तथा सस्ते खनिज पदार्थ की उपलब्धि संभावना की जांच के लिये ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जितना शीघ्र हो सकेगा ।

सैनिक इंजीनियरी सेवा के पदाधिकारी

*७३६. **श्री राघवैया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन के सैनिक इंजीनियरी सेवा के कुछ पदाधिकारियों पर, गबन, घूस आदि के अभियोग लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ,

इम्पीरियल बैंक के हिस्से

*७४०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों से रिज़र्व बैंक को जुलाई १९५५ माह के प्रतिकर के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) कितनी धनराशि का दावा किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १,८६५ ।

(ख) २,२१,५०,५१६ रुपये २ आने ४ पाई ।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा

*२७९. **श्री एस० एन० दास :**
श्री पी० एन० राजभोज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रव्य-दृश्य शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड ने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विकास के कार्यक्रम को बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निश्चय किये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]**

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम

३०२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने, एक जर्मन सार्थ को नवीन पद्धति से, कोयले से विद्युत् बनाने का परमाणु सामग्री, जिसका विकास ईंधन गवेषणा संस्था धनबाद में किया गया है, बनाने के लिये अनुज्ञप्ति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुज्ञप्ति को देने की क्या शर्तें हैं; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये किसी अन्य सार्थ को भी अनुज्ञप्ति दी गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) जी हां ।

राजस्थान के महाराज प्रमुख

३४४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के स्वर्गीय महाराज प्रमुख का कौन उत्तराधिकारी हुआ;

(ख) क्या उत्तराधिकारी को महाराज प्रमुख की उपाधि दी जायेगी अथवा उसको केवल शासक ही माना जायेगा; और

(ग) उनके उत्तराधिकारी को कुल कितनी उपलब्धि अथवा निजी थैली मिलेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). तत्रभवानस्वर्गीय महाराणा भूपाल सिंह के उत्तराधिकारी, तत्रभवान महाराजाधिराज महाराणा भगवत सिंह जी को उदयपुर का शासक मान लिया गया है । राजस्थान के महाराजप्रमुख का पद, उदयपुर के स्वर्गीय महाराणा का व्यक्तिगत था तथा उनके देहान्त के पश्चात् समाप्त हो गया ।

(ग) १० लाख रुपये प्रति वर्ष ।

नज़रबन्द

३४५. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री इब्राहीम :
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री इस समय निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नज़रबन्द व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं ३१ जुलाई, १९५५ तक, राज्यवार, नज़रबन्द व्यक्तियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

लिग्नाइट के निक्षेप

३४६. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र के पूर्वी गोदावरी ज़िले के अमलापुर नगरपालिका क्षेत्र में लिग्नाइट के निक्षेपों की प्राप्यता का सुनिश्चयन करने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र राज्य सरकार की सहमति से, इस सम्बन्ध में केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]**

न्यायाधीश

३४७. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५५ तक केन्द्रीय सरकार ने, विभिन्न, पदों पर उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के कितने अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया ; और

(ख) इस समय वह किन पदों पर हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख)। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

मनीपुर पुलिस

३४८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में पुलिस के सिपाहियों तथा पदाधिकारियों का क्या वेतन क्रम है;

(ख) क्या मनीपुर के पुलिस विभाग में आसाम के वेतन क्रमों का ही अनुकरण किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आसाम के वेतन क्रम कब लागू किये जायेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वन महोत्सव

३४९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना कर्मचारियों ने वन-महोत्सव कार्यक्रम में जुलाई १९५० से कितने वृक्ष लगाये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ८,२०,८६८ ।

भारतीय विमान बल के दया के मिशन

३५०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में अप्रवेश्य क्षेत्रों के व्यक्तियों की सहायता हेतु, आवश्यक सामग्री गिराने के लिये भारतीय वायु बल ने कितने दया के मिशन भेजे; और

(ख) इसी अवधि में, आपत कालीन समय पर, इन अप्रवेश्य क्षेत्रों में सहायता भेजने के लिये, कितनी चिकित्सा सम्बन्धी उड़ानें की गईं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दो ।

(ख) कोई नहीं ।

विदेशी सहायता

३५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह माह में, विभिन्न योजनाओं के अधीन, भारत को विदेशों से, कितनी धनराशि, निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत प्राप्त हुई :—

(१) प्रशिक्षण संस्थाओं के यंत्र

(२) प्राविधिक विशेषज्ञ

(३) विभिन्न देशों में भारतीय विद्यार्थियों को दी गई प्रशिक्षण सुविधायें; और

(ख) इसी अवधि में, अन्य देशों को भारत ने इसी प्रकार की कितनी सहायता दी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) भारत को संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रम, चार सूत्रीय कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना की प्राविधिक

सहकारी पद्धति, जिनका वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध है, के अधीन, निम्नलिखित प्राविधिक सहायता प्राप्त हुई है :

(१) प्रशिक्षण संस्थाओं के यंत्र (३१-३-१९५५ को समाप्त होने वाले १२ माह में) : कोलम्बो योजना तथा चार सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन ८.९६ लाख रुपये मूल्य के यंत्र प्राप्त हुए थे ।

(२) प्राविधिक विशेषज्ञ (३१-७-१९५५ को समाप्त होने वाले १२ माह में)

संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता

प्रशासन कार्यक्रम	४
चार सूत्रीय कार्यक्रम	३५
कोलम्बो योजना	१६

(३) भारतीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण सुविधायें (३१-७-१९५५ को समाप्त होने वाले १२ माह में) :

संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता

प्रशासन कार्यक्रम	२०
चारसूत्रीय कार्यक्रम	१५४
कोलम्बो योजना	९८

(ख) ३१-७-१९५५ को समाप्त होने वाले १२ माह में कोलम्बो योजना के अधीन दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के १६९ नामनिर्देशतों को प्रशिक्षण सुविधायें दी गई तथा इन्हीं देशों में चार भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें दी गईं ।

आशु लिपिक

३५२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय में कुल कितने अस्थाई तथा स्थाई आशु लिपिक नियुक्त हैं; और

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में बहुत अधिक अवधि तक कार्य करने वाले कितने अस्थाई आशु लिपिक हैं तथा वह कितनी अवधि में अस्थाई रुप में कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सचिवालय की आशु लिपिक सेवा में निम्नलिखित स्थाई तथा अस्थाई पद हैं :—

	प्रथम वेतन-क्रम वाले	द्वितीय वेतन-क्रम वाले	तृतीय वेतन-क्रम वाले
स्थाई .	४७	९५	५०९
अस्थाई .	६८	९१	५२३

(ख) एक ग्यारह वर्ष तथा ११ माह एक ग्यारह वर्ष तथा ४ माह तथा अन्य पांच १० वर्ष से अधिक । इनको इसलिये स्थाई नहीं किया गया क्योंकि वे अभी तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके ।

न्यायालय की भाषा

३५३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्द्रह वर्ष की कालावधि में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के बारे में संविधान के उपबन्ध के अनुसार क्या न्यायालयों में हिन्दी का धीरे धीरे अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि हिन्दी को अंग्रेज़ी के स्थान पर न्यायालय की भाषा बनाया जाय । अनुच्छेद ३४५ के अन्तर्गत राज्य का विधान मंडल उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकता है ।

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न राज्यों में हिन्दी न्यायालयों की भाषा अथवा अन्य भाषाओं में से एक, के रूप में पहले से ही

प्रयोग की जा रही है अथवा अधिकाधिक प्रयोग में लाई जा रही है :—

१. बिहार
२. मध्य-प्रदेश
३. उत्तर-प्रदेश
४. हैदराबाद
५. अजमेर (न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के अतिरिक्त)
६. भोपाल (न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के अतिरिक्त)
७. दिल्ली
८. विन्ध्य प्रदेश (न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के अतिरिक्त)

अभी कुछ राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और कुछ ही समय में वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सेवा निवृत्त पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

३५४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः १९५१, १९५२, १९५३, १९५४ तथा १९५५ में अभी तक राज्य सरकारों की सेवा से निवृत्त कितने पदाधिकारियों को, भारत सरकार की प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों में नियुक्ति मिली है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : राज्य सेवाओं से निवृत्ति के पश्चात् अतिवयस्कता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी की असैनिक सेवाओं में नियुक्त पदाधिकारियों की निम्नलिखित संख्या है :—

१९५१ . .	कोई नहीं
१९५२ . . .	२
१९५३ . .	९
१९५४ . . .	१
१९५५ . . .	कोई नहीं

इसमें रेलवे की नियुक्तियों की संख्या नहीं है क्योंकि उसके आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास

३५५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ के भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रमाणिक इतिहास तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इतिहास लिखने का कार्य डा० एस० एन० सेन को सौंप दिया गया है और उनको यह कार्य ३० जून, १९५६ के पूर्व ही पूरा करने को कहा गया है ताकि यह १० मई, १९५७ को छप सके ।

खनिज निक्षेप

३५६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर जिले और उसके आस पास के किन-किन स्थानों में १९५४–५५ के मौसम में भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा खनिज-निक्षेपों का पता लगाया गया था;

(ख) वहां पर उपलब्ध उन निक्षेपों की प्राक्कलित मात्रा क्या है; और

(ग) क्या उनमें से किसी खनिज पदार्थ के सम्बन्ध में कोई बड़े पैमाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी विवरण-पत्र के रूप में साथ ही प्रस्तुत की जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]**

लोक-सभा

शनिवार,
१३ अगस्त, १९५५

वाद - विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

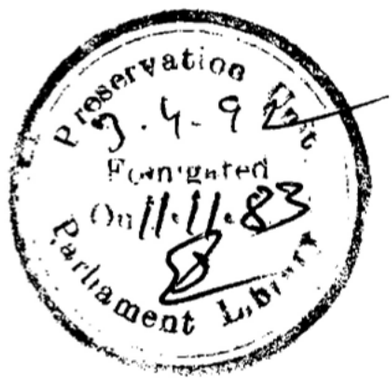

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--	
असमाप्त	४६८–५१०
अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राकक्लनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन--	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५-- पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक--	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३६–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--	
स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव--	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—.	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक—पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६९०–७६०

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७६१–७६३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित	७६३
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७६३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	७६३–८१८
श्री पाटस्कर	७६३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)—पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक-सभा

शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

६४ लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५८ म० पू०

समवाय विधेयक—**जारी**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सी० डी० देशमुख द्वारा ९ अगस्त, १९५५ को पेश किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

> "कि समवायों तथा कतिपय अन्य सन्थाओं से सम्बन्धित विधि को स्वीकृत और संशोधित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : समवाय विधि के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं अपने मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा कही गई कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

मैं श्री के० पी० त्रिपाठी से इस बात में सहमत हूं कि बोर्ड में कर्मचारियों का एक

प्रतिनिधि होना चाहिये । मैं इस बात से भी सहमत हूं कि एक सरकारी संगठन समवाय विधि समिति द्वारा प्रस्तावित संविहित संगठन की अपेक्षा अधिक अच्छा **रहेगा ।**

कोलार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में श्री के० पी० त्रिपाठी ने जो कुछ कहा मैं उस से सहमत नहीं हूं । १९४९ में मैसूर सरकार और कोलार स्वर्णक्षेत्र समवाय के बीच एक करार हुआ था । मैसूर सरकार ने एक समिति इस बात का पता लगाने के लिये नियुक्त की कि उस करार को प्रबन्धक समवाय ने कार्यान्वित किया है या नहीं । समिति ने प्रतिवेदन पेश किया कि करार का पालन नहीं किया गया है बल्कि उस का उल्लंघन किया गया है । कोलार स्वर्णक्षेत्र समवाय ने मैसूर सरकार समिति के प्रतिवेदन को गलत बताया । करार में मध्यस्थ नियुक्त करने का उपबन्ध है । ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने इसी धारा की ओर ध्यान दिलाया था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : यदि ब्रिटेन के उच्चायुक्त यह कहते कि करार का पालन किया जाना चाहिये तो ठीक था पर उन्होंने ब्रिटिश पूंजी को निकाल लेने की धमकी दी है । यह ठीक नहीं है ।

श्री मात्तन : मैं संयुक्त समिति द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करता हूं और इस का सब से अधिक श्रेय माननीय मंत्री को है ।

[श्री मात्तन]

समिति को अच्छी तरह मालूम था कि समवाय के प्रशासन में बड़े बड़े प्रबन्ध अभिकरण संघ किस प्रकार धोखे बाजी और जालसाजी करते हैं और समिति ने उन्हें समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया है। समिति ने एक दो निरोधक खण्ड भी लगाये हैं पर मैं उन्हें बुरा नहीं समझता क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इस के सिवा और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अतः म उन लोगों को दोष नहीं देता जो प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का अनुकरण हमने ब्रिटेन से नहीं, बल्कि वहां के लोगों से सीखा है। उन्होंने भारत स्थित अपने व्यवसाय का नियंत्रण करने के लिये इस प्रणाली को चलाया था इस प्रकार इसका जन्म हुआ।

जब भारतीय व्यापारियों ने संयुक्त स्कन्ध समवाय बनाये तो उन में जो सब से अधिक चतुर थे उन्होंने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का सहारा लिया और उसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिये भी पक्का कर दिया। उन लोगों ने जिस प्रणाली को अपनाया वह धांधली बाजी की थी। इन में कुछ अपवाद भी थे। कुछ भारतीय प्रबन्ध अभिकरण संघों ने तो देश के उद्योग को शिल्पिक, वित्तीय प्रबंध सम्बन्धी और अन्य सभी प्रकार की बड़ी सहायता की है।

यदि आप बम्बई अंशधारी सन्था का ज्ञापन पढ़ेंगे तो आप को पता लगेगा कि अधिकांश प्रबन्ध अभिकरण समवाय कुप्रबन्ध के भद्दे उदाहरण हैं और तब आप समझ पायेंगे कि संयुक्त समिति और सरकार ने किस प्रयोजन से यह प्रतिबन्धात्मक खण्ड रखे हैं। मैं समझता हूं कि सारी सभा इस प्रतिवेदन का स्वागत करेगी पर मेरी समझ में नहीं आता कि इन करोड़पतियों को दण्ड क्यों नहीं दिया गया बल्कि यहां तक हुआ कि मंत्री लोग इन का आतिथ्य स्वीकार कर के इन्हें प्रोत्साहन देते रहे। हमारे १९३६ और १९५१ के अधिनियमों में बहुत से प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध हैं। पर वस्तुतः अभी तक हमारे देश में समवाय विधि को कभी भी ठीक प्रकार से लागू ही नहीं किया गया। समवाय अधिनियम केवल एक संविधि था और राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया था, परन्तु राज्य सरकारों के पास भी इन समवायों के पंजीयन को छोड़ कर अन्य किसी प्रबन्ध के लिये कोई कार्यपालिका संगठन नहीं था। अतः इस नये समवाय विधेयक की सफलता इस बात पर निर्भर है कि संयुक्त समिति में निर्दिष्ट संगठन कितनी बुद्धिमानी, साहस और सावधानी से काम करता है। समवाय विधि में संशोधन करने का सब से मुख्य उद्देश्य इस संगठन को नियुक्त करना था और अब भी यदि इस विभाग के द्वारा देश के समवायों के प्रशासन में कोई सुधार नहीं होता तो इस संशोधन का कोई लाभ नहीं।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि ख्याति प्राप्त प्रबन्ध अभिकरण संस्थाओं ने देश के उद्योग का विकास करने में बहुत सहयोग दिया है और जब तक इस प्रणाली का कोई समुचित विकल्प हमें नहीं मिल जाता हमें प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहिये। प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में प्रवर समिति की सिफारिश का मैं समर्थन करता हूं।

शेयर बाजार में बढ़े हुए दाम होने पर भी गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी का संकलन असंतोषजनक है। यद्यपि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने आशा से बहुत कम काय किया है फिर भी पूंजी इकट्ठा करने के मामले में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।

बोर्ड के सदस्यों से हमें उतनी आशा नहीं करनी चाहिये जितनी कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं से । बैंक ऋणों की प्रत्याभूति के मामले में बाड के सदस्य बहुधा रुचि नहीं लेते । मुझे प्रसन्नता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को और ५वर्षों का समय दिया गया है। प्रबन्ध अभिकरणों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में मैं खण्ड १९७, ३४७, ३४८, ३५०, ३५१ और ३५४ को रखने के पक्ष में हूं । अपर्याप्त लाभ होने या बिल्कुल लाभ न होने की दशा में कम-से-कम देय के उपबन्धों का संशोधन किया जाना चाहिये । कुछ ऐसे समवायों को जो इस समय खराब हालत में हैं योग्य शिल्पिक व्यक्तियों की कमी होगी पर योग्य व्यक्ति कम पारिश्रमिक पर नहीं मिल सकेंगें । इस बात को भी ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पारिश्रमिक के उपबन्ध में सुधार करना आवश्यक है ।

प्रबन्ध अभिकर्ता अधिकतर अपने नाम निर्देशित लोगों को बोर्ड में रखते हैं ताकि उन के स्वार्थ की पूर्ति होती रहे । खण्ड २६४ और ४०७ में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये सन्था के अन्तर्नियमों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की बात वैकल्पिक रखी गयी है । पर समवाय बनाते समय सन्था के अन्तर्नियमों का निर्माण प्रबन्धक स्वयं या वकीलों की सहायता से करते हैं। क्या उन से इतनी उदारता की आशा की जाय कि वह अल्पसंख्यकों के लिये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेंगे । अतः खण्ड २६४ को वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये ।

अधिमान्य अंशों के मताधिकार के सम्बन्ध में वर्तमान समवायों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर विचार करें ।

खण्ड २१९ और २२३ में बताया गया है कि गैर-सरकारी समवायों को भी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ संतुलन पत्र को पंजीयक के पास भेजना चाहिये । पर भारत में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी व्यापारिक संस्थायें भी हैं जो परिवारिक स्तर पर चलती हैं । उन के लिये यह बहुत कठिन होगा कि वह गैर-सरकारी समवाय के परीक्षक प्रतिवेदन के साथ लेखा-पत्र भी पंजीयक के पास भेजें ।

लेखा परीक्षक के सम्बन्ध में धारा २२७ में कहा गया है कि शाखाओं के लेखाओं का परीक्षण किया जाये या नहीं इस सम्बन्ध में सामान्य बैठक में निर्णय किया जायेगा । पर शाखा कार्यालयों के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ता पर सारी बात छोड़ने पर भूतकाल में बहुत गड़बड़ी होती रही है अतः शाखा कार्यालयों के लेखाओं का भी परीक्षण होना आवश्यक है । । अतः धारा २२७ (१) में से इस खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये ।

समवाय की जांच के सम्बन्ध में अभी तक अंश पूंजी के $^{1}/_{10}$ के भाग के २०० अंशधारियों के एकमत होने पर समवाय की जांच की जाने की व्यवस्था है पर २०० संख्या बहुत अधिक है और मेरे विचार से यह संख्या केवल १०० होनी चाहिये ।

खण्ड २३५ में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य किसी समवाय के मामलों की जांच कराने के लिये आवेदन पत्र देता है तो उसे १,००० रुपये की प्रत्याभूति देनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि यह राशि घटा कर ५०० रुपये कर दी जाये ।

इस धारा में यह भी बताया गया है कि समवाय का प्रबन्धक अपनी सामान्य बैठक में किसी एक व्यक्ति को समापक नियुक्त कर सकता है जो आस्तियों का वितरण करेगा और समवाय के सभी कामों को समाप्त कर देगा । पर मैं चाहता हूं कि समापक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिस का पिछले तीन

[श्री मात्तन]

वर्षोंसे समवाय से कोई सम्बन्ध न रहा हो और जो न तो समवाय का निदेशक रहा हो और न लेखा परीक्षक या कोई पराधिकारी रहा हो ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : इस विधेयक में 'साथियों' और सम्बन्धियों' 'की ऐसी परिभाषा दी गई है जो हमारी ईमानदारी पर कलंक है । साक्ष्य अधिनियम के अधीन एक सिद्धान्त है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पक्ष में साक्ष्य देता है तो उस से यह प्रश्न किया जाता है कि उस का उस व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है । और इतना पूछ कर ही वकील यह कह देता है कि साक्ष्य उस का सम्बन्धी है । पर १९२३ में कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह तय हो गया है कि किसी व्यक्ति का किसी से सम्बन्ध होना ही साक्ष्य को नाजायज बताने का कोई मुख्य कारण नहीं है । सारे साक्ष्य पर विचार करके ही हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि यह साक्ष्य विश्वासनीय है अथवा नहीं। जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि साक्षी ने झूठ बोला है उस के साक्ष्य पर विश्वास करना होगा । किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में निवर्तन की प्रक्रिया चल रही है और हम नहीं जानते कि इस का अन्त कहां पर होगा ? हम एक व्यक्ति पर केवल इसलिये अविश्वास करते हैं कि वह बनिया या व्यापारी है । एक ओर तो हम जाति वर्गहीन समाज की स्थापना तथा समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की बात करते हैं, दूसरी ओर हम एक व्यक्ति को इसलिये बेइमान कहते हैं क्योंकि वह एक स्वतन्त्र व्यापारी या निदेशक है । हम ऐसे व्यक्ति पर जिस का बेटा पाकिस्तान में है और परिवार पाकिस्तान में, विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं । उस के पास संघ लोक सेवा आयोग जैसी कोई प्रणाली नहीं है जिस के आधार पर वह विश्वस्त व्यक्ति ढूंढ सके, लेकिन अपने कार्य के दौरान वह कुछ लोगों के सम्पर्क में आता है और उन पर विश्वास करता है क्योंकि व्यापार, सौदे अथवा ठेके आदि के कार्य में विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन विधेयक के इन उपबन्धों पर वह विश्वास नहीं करेगा । यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्धिशाली हो, यदि हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र का विश्वास किया जाये, तो हमें उन सभी परिणामों पर ध्यान देना होगा जो सभी छोटे मोटे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर होंगे । हमें राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना है और यह एक विशेष स्थिति के लोगों पर अविश्वास करने से सम्भव नहीं होगा ।

सरकार इस विधेयक के अधीन बहुत अधिक अधिकार हड़प कर रही है जो कि सरकार के लिये बोझ बनेंगे तथा समवायों का संचालन करने वाले लोगों के लिये कठिनाई पैदा करेंगे । एक ओर आप प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को लाभदायक कहते हैं, दूसरी ओर आप इसे समाप्त करना चाहते हैं । मैं आप से पूछता हूं कि आप इस के स्थान पर कौन सा अन्य विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं ? यह समवाय विधि है ही नहीं, क्योंकि आपने कोई ऐसी विधि का उपबन्ध ही नहीं किया है जिस के अधीन समवाय कार्य कर सकें ।

इस से अच्छा तो यह है कि आप प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये विधि बनायें और उसे भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित कर दें । इतना बड़ा परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है ?

कहीं-कहीं पर इस विधि के उपबन्धों को समझने में कठिनाई भी हो सकती है, जैसे सचिव व कोषाध्यक्ष एक व्यक्ति न हो कर सार्थ होगा । सभी परिस्थितियों में यह किस प्रकार सम्भव है । यदि सार्थ का साझेदार

दूसरे का साथी हो, तो भी कठिनाई हो सकती है ।

यदि हम विधेयक का अग्रेतर विश्लेषण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि एक उपबन्ध में कहा गया है कि यदि कोई निजी, समवाय, सार्वजनिक सीमित समवाय होने पर अपनी पुस्तिका में झूठ और गलत बातें प्रकाशित करेगा तो उस को अपराधियों की भांति दंडित किया जायेगा और दंड विधि के उपबन्ध उस पर लागू होंगे । इसी के बाद के एक और उपबन्ध में कहा गया है कि विवरण में गलत या झूठ बात कहने पर कोई दंडनीय अथवा व्यावहारिक दायित्व संलग्न नहीं रहेगा । इस प्रकार आप एक निजी सीमित व्यापारिक संस्था के मामले में गला पकड़ लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक समवाय के मामले में आप कुछ भी नहीं करते हैं ।

अगला प्रश्न समवाय स्थापित करने तथा विशेषज्ञ की सम्मति का है । उपबन्ध में कहा गया है कि विशेषज्ञ को समवाय की स्थापना में व्यक्तिगत हित रखने वाला अथवा उस समवाय में काम करने वाला व्यक्ति न होना चाहिये । इस बात से आप घोषित कर रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं हैं । यदि एक विशेषज्ञ जो व्यापार से भली भांति परिचित हो, व्यापार में शामिल नहीं होना चाहेगा तो भला एक ऐसे व्यक्ति के मत का, जिस का समवाय में कोई भी हित न हो, जनता कैसे विश्वास करेगी । विशेषज्ञ के ज्ञान अथवा व्यक्तित्व से ही तो जनता में विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है । किन्तु पारिश्रमिक दिये जाने वाले व्यक्ति की बात का यह प्रभाव नहीं हो सकता । इस प्रकार का उपबन्ध अनुचित है ।

परिशिष्ट ६ में एक लम्बी सूची दी गई है, जिस में वे खंड दिखाये गये हैं जिन में केन्द्रीय सरकार को निर्देश करना होगा । यदि सरकार कहीं भी हस्तक्षेप करे तो हम केवल इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि सरकार समवाय स्थापित नहीं करना चाहती है ।

आप ने विज्ञप्ति का यह रूप भी निर्धारित कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समवाय स्थापित करना चाहेगा इस निश्चित रूप का अनुसरण करेगा और एक उद्देश्य से केवल एक ही समवाय स्थापित किया जा सकता है, अन्य उद्देश्य के लिये उसे दूसरा समवाय स्थापित करना पड़ेगा । एक अन्य प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अधीन दस से अधिक प्रबन्ध अभिकरण नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार उन के मार्ग में कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिस से वे धन से देश की सेवा नहीं कर सकते । आप उन पर अविश्वास करते हैं । विधेयक के उपबन्धों में यही भावना अन्तर्निहित है । प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को अब केवल ५०,००० रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे—कई सरकारी पदाधिकारियों को भी ५०,००० रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं किन्तु, आप उन के सम्बन्धियों को सरकारी नौकरी से नहीं रोक सकते, जब कि आप यहां एक व्यक्ति पर केवल इसलिये प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वह किसी विशेष व्यक्ति का भाई पुत्र अथवा निकट सम्बन्धी है । यह बात संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है । मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि अब इस स्थिति में विधेयक में परिवर्तन किये जायें तथापि देश के भविष्य का ध्यान रखते हुए इस में व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा गैर-सरकारी समवाय स्थापित करने पर पग पग पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों का हस्तक्षेप होने लगेगा ।

एक स्थान पर कहा गया है कि समवाय का नाम अवांछनीय नहीं होना चाहिये, किन्तु इस वांछनीयता की क्या कसौटी होगी, इस को स्पष्ट नहीं किया गया है ।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जहां तक समवाय विधि का सम्बन्ध है, मेरा यह मत है कि जो विधि कुछ व्यक्तियों को अपना व्यवसाय चलाने में इस कारण बाधा पहुंचाती है कि वे व्यापार संचालन करने वालों के सम्बन्धी हैं, अनुचित है। उसे हटा देना चाहिये।

अन्त में, मैं एक अन्य बात की ओर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि इस अधिनियम में 'ऋणपत्र' की जो नई व्याख्या की गई है उस से कई झगड़े खड़े होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में कुछ दंड सम्बन्धी उपबन्ध तथा रोक अनिवार्य हैं। उदाहरणस्वरूप यह उपबन्ध है कि दो व्यक्तियों से कम के निजी समवाय तथा सात व्यक्तियों से कम वाले सार्वजनिक समवाय को नहीं चलने दिया जायेगा किन्तु यदि ऐसा समवाय चले भी तो केवल यह होगा कि समवाय के द्वारा लिये गये ऋणों का दायित्व उन पर होगा; इतना ही पर्याप्त नहीं; ऐसे समवाय को चलने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिये।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : सभा की चर्चा प्रबन्ध अभिकरण के प्रश्न पर केन्द्रित रही है। कुछ सदस्य तो इस पद्धति को अभी समाप्त कर देना चाहते हैं और कुछ सदस्य एक निश्चित समय के अन्दर इसे समाप्त करना चाहते हैं। संयुक्त समिति ने मध्य मार्ग ग्रहण किया है और उस ने यद्यपि इस पद्धति को कुछ समय तक जारी रहने दिया है तथापि कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये हैं कि व्यक्ति इस पद्धति का वैयक्तिक स्वार्थों के लिये दुरुपयोग न कर सके यद्यपि विधेयक के उपबन्धों से इस पद्धति पर लगाये गये प्रतिबन्धों का पता चलता है तथापि यदि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान इस पद्धति से सफलतापूर्वक कार्य हो सका तो कदाचित इसे कुछ वर्षों तक चलते रहने दिया जायगा।

हमारा संयुक्त समिति के अन्य सदस्यों के साथ निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मतभेद था। संयुक्त समिति ने सामानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त रखा है किन्तु हम चाहते थे कि यह सिद्धान्त समवाय की इच्छा पर निर्भर न रह कर अनिवार्य बनाया जाय। किन्तु प्रश्न के मुख्यतः प्रबन्ध अभिकरण पद्धति पर केन्द्रित होने से लोग यह भूल गये कि समवाय में निदेशकों का महत्वपूर्ण स्थान है और वे ही वास्तविक स्वामी या अन्तिम प्राधिकारी हैं। अतः निदेशकों के बोर्ड का सुधार करना भी अनिवार्य है क्योंकि बुराइयां केवल प्रबन्ध अभिकरणों में ही नहीं पाई जातीं, प्रत्युत निदेशकों में भी पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति जब तक जारी रहेगी तब तक कुछ व्यक्ति सदैव अपने आदमियों को निदेशकों के बोर्ड में भर कर मनमानी करते रहेंगे। और इस से वे सभी बुराइयां तथा अन्तःपाशन, चोरी छिपे कमीशन लेना, ऋण देना, गुप्त मुनाफा, कमाना इत्यादि चलती रहेंगी।

विधेयक में उक्त बुराइयों को रोकने के कई उपबन्ध हैं, उदाहरणार्थ खंड २३३ और २३४ में यह उपबन्ध है कि रजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय सरकार जालसाजी और अव्यवस्था इत्यादि की जांच करेंगे खंड ३९७ और ३९८ में भी अव्यवस्था, इत्यादि के रोकने के उपबन्ध हैं किन्तु मेरे विचार में उक्त सभी उपबन्ध व्यर्थ हैं क्योंकि सरकार तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कि आप के पास जालसाजी या अव्यवस्था, आदि का काफी प्रमाण हो, अन्यथा वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। अतः अंशधारियों को एकत्र कर के अदालत में ले जाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को इस में भी कठिनाई होगी कि वह अंशधारी समवाय के भ्रष्टाचार की पुष्टि के लिये यथेष्ट प्रमाण दे सके और जब तक ऐसे प्रमाण उपलब्ध न हों, सरकार ऐसे समवाय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

कर सकती। अतः यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को, अपनाते हुए, अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाय कि निदेशक बोर्ड में जितने सदस्यों का स्थान हो उतने ही मत वे दे सकें, तो वह श्रेयष्कर होगा क्योंकि इस से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी निदेशक बोर्ड में स्थान पा सकेंगे। अभी तो ऐसा होता है कि एक अंशधारी को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। जिन की बहुसंख्या होती है वे ही निदेशक बोर्ड को अपने हाथ में लेते हैं। जब अल्प संख्यकों के प्रतिनिधि भी उस में होंगे तो वे समवाय के कार्य की उचित देख भाल कर सकेंगे और यदि उस में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार भी उन की सहायता से उसे सिद्ध करने में सफल हो सकेगी।

इस विचार के विरुद्ध मेरे माननीय मित्र श्री तुलसी दास और श्री जी० डी० सोमानी ने यह आपत्ति की है कि निदेशक बोर्ड में अल्प संख्यकों के प्रतिनिधि आने से झगड़े पैदा हो जायेंगे और समवाय का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा किन्तु यह एक भ्रांति मात्र है। वास्तव में यदि देखा जाय तो समस्त अंशधारियों का हित समवाय के हित में निहित है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि तो केवल यह देखेंगे कि बहुसंख्यकों के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ही तो सब काम नहीं किया जा रहा। वे निदेशक बोर्ड की बैठक में केवल बहस कर सकेंगे, अन्यथा निश्चय तो बहुमत के अनुसार ही होगा। साझेदारी में भी बहुमत के अनुसार ही कार्य किये जाते हैं।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि समवाय का काम उसी प्रकार चलेगा जैसे नेहरू-लियाकत सरकार का चलता था, किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि समवाय में सब का हित एक होता है जब कि सरकार में विभिन्न दलों के विभिन्न हित होते हैं। कुछ लोगों ने यह आपत्ति की है कि ब्रिटेन के अधिनियम के अन्तर्गत भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई उपबन्ध नहीं है। उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि वहां की स्थिति भारत से सर्वथा भिन्न है। वहां के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत समवायों के प्रबन्ध के बारे में कोहेन समिति ने कहा है कि वह संतोषजनक रूप से होता है। वहां किसी दलबन्दी पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पर अंशधारियों की संख्या बहुत होती है। कोहेन समिति ने बताया है कि वहां ५०० से कम अंश धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या ९० प्रतिशत होती है।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं जानना चाहता हूं कि भारत में इस का क्या प्रतिशत है ?

श्री एन० पी० नथवानी : मुझे ठीक ठीक आंकड़े तो प्राप्त नहीं किन्तु हमारे यहां २५ से ६० या ७० प्रतिशत तक अंश पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुत प्रचलित है और बड़ी अच्छी चल रही है।

संयुक्त समिति की दूसरी बात जिस से हम असहमत हैं, लेखापरीक्षकों की है। प्रस्तुत विधेयक में समवाय को अपने लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस का परिणाम यह होगा कि निदेशक बोर्ड अपनी इच्छानुसार उन्हें नियुक्त करेगा। मैं चाहता हूं कि लेखापरीक्षकों को अधिक स्वतन्त्रता देने के लिये उन की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिये। जब खण्ड ४०७ और ४०८ के अन्तर्गत सरकार को प्रबन्धकों, निदेशकों आदि के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार दिया जा रहा है तो इतना सा अधिकार और देने में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। दूसरी आपत्ति यह कि गई है कि लेखा परीक्षकों के हित-अहित की देखभाल के लिये अधिकृत लेखा पाल संस्था विद्यमान हैं और उन के निजी नियम भी मौजूद हैं किन्तु

[श्री एन० पी० नथवानी]

हमें इससे क्या बहस है। वे चाहे जो भी नियम बनायें, यहां तो सरकार जनहित के लिये, विनियमन कर रही है ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि विशेष अंशधारियों को विशेष मामलों में भविष्य में मतदान का अधिकार न दे कर सरकार ने अच्छा कार्य किया है किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस समय जिन्हें यह अधिकार प्राप्त है उन का यह अधिकार यथावत् क्यों बनाये रखा गया है ?

जहां तक सचिवों तथा कोषाध्यक्षों का सम्बन्ध है, मैं उन से सम्बद्ध उपबन्ध से सन्तुष्ट नहीं हूं किन्तु इस पर खंडशः विचार प्रारम्भ होने पर ही इस विषय में कहना उचित होगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : प्रस्तुत विधेयक के खंडों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमें खंडों की भाषा पर चर्चा करने से पहले यह देखना चाहिये कि समवायों में प्रचलित भ्रष्टाचार को किस प्रकार दूर किया जाय ।

इस विधेयक को बहुत बड़ा बताया जाता है क्योंकि इस में ६४९ खंड हैं। वास्तव मे पिछले अधिनियम के जो विविध प्रक्रियात्मक अनुच्छेद थे उन्हें अब खण्डों का रूप दिया गया है, अन्यथा हम चालीस-पचास खण्डों से काम चला सकते थे ।

मैं अपने भाषण में केवल कुछ बातों पर काश डालूंगा ।

माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के दोष दूर कर दिये गये हैं। प्रबन्ध अभिकरणों को सब से बड़ा अधिकार तो निदेशकों को नियुक्त करने का था। मेरे मित्र श्री एन० पी० नथवानी ने अभी बताया है कि समवाय में गुटबन्दी को प्रोत्साहन न दे कर सब के समान हित को ध्यान में रखा जाना चाहिये। मैं तो संयुक्त समिति की सिफारिशों से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समवायों से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली छीन कर सरकार स्वयं ही सब से बड़ा प्रबन्ध अभिकरण बन बैठी है ।

सरकार के हाथ में इतना अधिकार सौंप दिया गया है कि वह जैसा चाहेगी, समवायों का प्रबन्ध करेगी। इन समवायों की सब मिल कर कई अरब रुपये की सम्पत्ति होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी भी मनुष्य ही हैं, देवता नहीं। समवायों का प्रबन्ध और अधिक बिगड़ जाने की सम्भावना है। मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को अत्याधिक मान्यता दी है। हम यह कैसे मान सकते हैं कि केवल एक मंत्रणा समिति की सहायता से सरकार समस्त समवायों की उचित देखभाल कर सकेगी। इस के लिये एक आयोग होना चाहिये। उदाहरण के लिये प्रशुल्क आयोग को ही लीजिये। अनेक स्वतन्त्र व्यक्ति उस के सदस्य हैं। वे अपनी राय देते हैं और हमें भी ज्ञात हो जाता है कि उन्हों ने क्या राय दी है, किन्तु सरकारी मंत्रणा समिति से समवायों को क्या पता चल सकेगा कि वह किस प्रकार की राय दे रही हैं।

हमें प्रबन्धक समितियों को केवल यह कह कर नहीं हटा देना है कि वे अच्छी नहीं हैं या हम उन्हें पसन्द नहीं करते। यदि ध्यान-पूर्वक विचार किया जाये तो सरकार ने पुराने प्रबन्धकों का स्थान नये सचिवों तथा कोषाध्यक्षों को दे दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि उन्हें किसी उपबन्ध के बिना भी नियुक्त किया जा सकता है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

समवाय के कार्यवहन के लिये असमान मतदान अधिकार के अंशों को हटाने की व्यवस्था की गई है ।

विधेयक के खंड ८७ म असमान मतदान अधिकार को हटा दिया गया है। यह तो सुन्दर है किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि खंड ८८(४) में यही अधिकार पुनः क्या दे दिया गया है ?

मेरा सुझाव तो यह है कि समवाय पर आवश्यक नियंत्रण तो अंशधारियों का होना चाहिये। वे जैसे भी चाहें अपने निदेशक नियुक्त करें। मल सिद्धान्त तो बहुमत का है। प्रजातन्त्र में ५१ व्यक्ति १०० के बराबर हैं और शेष ४९ शून्य के बराबर। मैं चाहता हूं कि यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, तो कार्य संचालन भली भांति होगा। इस विषय में श्री एन० पी० नथवानी ने अभी बहुत कुछ कहा है। भले ही यह प्रणाली ब्रिटेन में न हो किन्तु अमरीका में यह बहुत सफलता से चल रही है।

मैं आशा करता हूं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को इस विधेयक में अवश्य स्थान दिया जायेगा क्योंकि समवायों के श्रेयस्कर प्रबन्ध के लिये यह परमावश्यक है।

खण्ड ४०७ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि आप इस की जांच करें तो उस में केवल यह दिया हुआ है कि अंशधारियों की शिकायत पर ही सरकार बोर्ड के दो सदस्यों को नाम-निर्देशित कर सकती है तत्पश्चात् कार्य नियमित रूप से होने लगेगा। परन्तु केवल दो निदेशक होने से काम कैसे चलेगा क्योंकि बोर्ड में, कम से कम पांच सदस्य रहेंगे ही जिस के कारण अधिकता उन की ही रहेगी। दूसरे यह दोनों भी वहां एक प्रकार से जबरदस्ती ही रखे जायेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से मुझे सरकार का इरादा ठीक नहीं मालूम होता। वह इन सदस्यों को बोर्ड में रख कर बोर्ड में सदा झगड़ा कराना चाहती है। इसलिये यह समस्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से सुलझ सकती है।

मेरे विचार से यह अधिकार भी न्यायालयों को ही देना चाहिये तथा इस प्रकार इस खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। न्याय को तो न्यायालय ही समझ सकते हैं।

१९६० तक सभी प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिये जायेंगे। सरकार अधिसूचना के द्वारा इन को पहले भी समाप्त कर सकती है, यदि समवाय किसी विशेष प्रकार का कार्य कर रही हो तो। एक समवाय कोई प्रतिषिद्ध व्यापार थोड़े रूप में करती है तथा अधिकतर ऐसा व्यापार करती है जिस पर कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार यह समवाय भी इस उपबन्ध के अधीन बन्द कर दी जायेगी। अब आप अधिसूचना को लीजिये। इस में दिया हुआ है कि यह अधिसूचना, प्रकाशन के तीन वर्ष पश्चात् लागू होगी तथा समाप्त करने की तिथि १९६० रखी ही जा चुकी है। अब १९५५ है। इसलिये यदि इस को १९५७ में प्रकाशित किया गया तो यह बेकार ही रहेगी। क्योंकि प्रबन्ध अभिकरण तो कार्य ही तब तक करेंगे। परन्तु सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह उन को पुर्नियुक्त कर सके। इस की भाषा इस प्रकार की रखी है जिस के कितने ही अर्थ हो सकते हैं।

जिस प्रकार इन वर्षों में सरकार ने कार्य किया है मैं जानता हूं। इसलिये मुझे भय है कि प्रबन्ध अधिकरण पद्धति सदा चालू रहेगी। मैं चाहता था कि इस के कुछ अधिकार छीन लेने चाहियें परन्तु सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष बना कर तो आप उन को इतनी बुराइयों के साथ पुनः चालू करना चाहते हैं।

मैं समवायों की संख्या तथा उन के वेतन के सम्बन्ध में किस प्रकार का नियंत्रण हो, इस सम्बन्ध में बताना चाहता था। संयुक्त समिति ने समितियों की संख्या २० से १० कर दी तथा चर्चा के समय यह बताया कि उन्हों ने यह इस कारणवश किया क्योंकि

[श्री राघवाचारी]

अनुभवी व्यक्तियों की कमी है । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि आप इस संख्या को बहुत कम रखें । मान लीजिये मैं २० समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता हूं परन्तु आप ने यह निश्चित किया कि केवल १० समवायों का ही अभिकर्ता होना चाहिये । अब बताइये यदि इन सभी समवायों को वह अभिकर्ता एक रूप में परिणत कर दें, तो आप क्या करेंगे । पारिश्रमिक के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात हुआ है कि यह ५ प्रतिशत से ११ प्रतिशत दिया जायेगा । यह केवल नफे की अवस्था में ही लिया जाता है । परन्तु उन्हों ने यह भी व्यवस्था रखी है कि जिस समवाय में लाभ नहीं होगा उस में अधिकतम रुपया ५०,००० रुपये होगा । परन्तु मेरे विचार से लाभ का प्रतिशत देना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं क्योंकि यह लाभ वर्ष के अन्त में घोषित किया जायेगा परन्तु इन व्यक्तियों को वर्ष के प्रारम्भ से ही पारिश्रमिक मिलने लगेगा पुराने समवाय तो गत वर्ष के लाभ पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं । परन्तु कौन कह सकता है कि इस वर्ष भी उन को लाभ हो । जिस परिस्थिति में ५०,००० रुपये का नियम यहां भी लागू करना पड़ेगा । यह बहुत बड़ी धन राशि है । मेरे विचार से अंश पूंजी की कोई प्रतिशतता निश्चित कर लेनी चाहिये ।

देश में बड़ा आन्दोलन है तथा कुछ दिन पूर्व सभा में भी विवाद हुआ था कि एक वेतन स्तर, किसी एकरूपी आधार पर निश्चित होना चाहिये । यदि समवाय के लाभ का ११ प्रतिशत निदेशक का वेतन रखा जायेगा तो वह हजारों रुपयों में होगा । कर जांच आयोग ने किसी व्यक्ति विशेष का अधिकतम वेतन ३०,००० रुपये तक रखा है परन्तु इस प्रकार इन दोनों बातों में कितना अन्तर हो जाता है । यह कहा जा सकता है कि यह विषय समवाय विधि से सम्बन्धित नहीं परन्तु जब हम समान स्तर लाना ही चाहते हैं तो यहीं से क्यों न प्रारम्भ किया जाये ।

खण्ड २२५(१)(ख) में यह दिया है कि लेखापरीक्षक विदेशी अर्हता के होने चाहियें । परन्तु मेरे विचार से हमारे देश में भी योग्य लेखा परीक्षक हैं इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा देश में औद्योगीकरण करने की आवश्यकता है । जैसे ही औद्योगीकरण का प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, तभी अभिकरण का विषय भी महत्वपूर्ण हो जाता है । पश्चिमी देशों में आपसी प्रतियोगिता के द्वारा उद्योगों का विकास होता था परन्तु बाद में विचारकों का यह मत हुआ कि एक व्यक्ति के किसी उद्योग को एकाधिकार प्राप्त कर लेने पर प्रतिद्विन्द्विता समाप्त हो जाती है । दूसरा उपाय यह निकाला गया कि योजनानुसार कार्य करना चाहिये तथा जब योजना बनाई जायेगी तो उस का नियंत्रण पदाधिकारी होना भी आवश्यक है । तथा यह पदाधिकारी एक लोकप्रिय सरकार के सिवाय और कोई नहीं हो सकता ।

राष्ट्रीय योजना समिति ने यह बताया है कि योजना एकतरफा कभी नहीं बनाई जा सकती । इस में तो सभी का एकीकरण होगा तथा सरकार को इन सब की उन्नति का भी ध्यान रखना होगा । यदि हम इस नियम का समर्थन करते हैं तो हमें सरकार को कुछ अधिकार देने पड़ेंगे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह दिया हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के विकास के साथ साथ उन्हों ने गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के भी ४२ कार्यक्रम बनाये हैं । यह भेदभाव ठीक नहीं । रेलवे तथा डाक विभाग के विकास के साथ साथ ही गैर-

सरकारी क्षेत्र का विकास हो रहा था । परन्तु उस को लंकाशायर तथा मानचैस्टर के साथ टक्कर लेनी पड़ी तथा इसीलिये हम देश के औद्योगिक विकास के लिये उस को अभी भी सहायता दे रहे हैं ।

हमें श्री गोखले के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना चाहिये कि हमें सभी सहकारिताओं का स्वागत करना चाहिये । यह अर्थ शास्त्र का प्रथम सिद्धान्त है कि जब संसाधनों से कार्य न होता हो तो अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जाये जिस से देश का औद्योगीकरण शीघ्रता से हो सके। हमें पूर्ण मितव्ययिता से काम लेना चाहिये तथा इसीलिये मेरा विचार है कि गैर सरकारी क्षेत्र पर हम इसी आधार पर कोई फैसला करना चाहिये ।

मैं गैर-सरकारी क्षेत्र तथा उस सरकार का जो सरकारी क्षेत्र में ही काम करती है दोनों का आलोचक हूं परन्तु क्या हमें इस समय सभी अविकसित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की सहकारिता की हमें आवश्यकता नहीं है ? मेरे विचार से हमें आवश्यकता है परन्तु इस शर्त पर कि गैर सरकारी क्षेत्र स्वतन्त्र देश समझ कर कार्य करें तथा केवल व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखें। जब संविधान ने सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक समानता की घोषणा कर दी तब गैर-सरकारी क्षेत्र को भी हमारी योजनाओं तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही रहे। इसीलिये हमें गैर-सरकारी उद्योग की सहायता अवश्य करनी चाहिये तथा सहायाता के लिये कड़े नियंत्रण की भी आवश्यकता है। परन्तु जब भी हम ने नियंत्रण करने को कहा तभी हम को सरकारी क्षेत्र का शत्रु मान लिया गया है ।

श्री तुलसी दास तथा श्री सोमानी ने बताया कि संयुक्त समिति का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि श्री बंसल, श्री मुरारका आदि उस समिति के जो प्रबन्ध अभिकरण के महान समर्थक हैं। इंग्लैंड तथा अन्य विदेशों में सहकारिता पद्धति है सहकारिता के द्वारा बड़ी बड़ी सार्थ प्रारम्भ की गईं तथा आज बड़े उद्योगों में परिणत हो गई हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रारम्भ किसी भी व्यापारी का उद्देश्य लाभ में ही रहेगा परन्तु सहकारिता से प्रारम्भ किये गये व्यापार से सेवा भावना तथा उपभोक्ता के हित की भावना रहेगी ।

समवाय की चार श्रेणियां हैं । अंशधारी, निदेशक, प्रबन्ध अभिकरण तथा श्रम । हमें इन सभी को सन्तुष्ट करना है तथा यही सम्मति योजना आयोग की है ।

सब से पहले तो मुझे इस विधेयक के इतना बड़ा होने पर ही आपत्ति है। इस में ६०० खण्ड हैं तथा यदि माननीय सदस्यों ने इन का संशोधन प्रारम्भ कर दिया तो मेरे विचार से इस की संख्या और अधिक बढ़ जायेगी। इस के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बातें व्यर्थ की बातों से दब गई हैं और इस का अध्ययन भी बड़ा ही कठिन है । मेरा सुझाव यह है कि असैनिक व्यवहार प्रक्रिया के समान ही इस का भी रूप कर दिया जाये ।

मैं यह समझने के लिये प्रस्तुत नहीं हूं कि समवाय प्रारम्भ करने वाले सभी व्यक्ति लफंगे होते हैं हमें सभी को अवसर देना चाहिये तथा उसकी यथासंभव सहायता अवश्य करनी चाहिये परन्तु ग्रन्थ से कोई सहायता नहीं दी जा सकती है ।

विधेयक के सम्बन्ध में मैं सब से प्रथम यह कहना चाहता हूं कि अंश पूंजी के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के परिवर्तनों से मैं सहमत नहीं हूं कि साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश केवल दो प्रकार के अंश होने चाहियें । इस के अतिरिक्त साधारण अंशों में मत देने का

[श्री एस० एस० मोरे]

अधिकार नहीं है। मेरे विचार से यह उपबन्ध आवश्यक है। पूर्वाधिकार अंश के सम्बन्ध में मैं संयुक्त समिति से सहमत हूं।

समवाय विधि-समिति ने ठीक ही कहा है कि समवाय में निदेशकों की उच्च स्थिति होती है। अग्रेतर यह कहा गया है कि ये निदेशक समवाय के अभिकर्ता ही होते हैं। मैं यही चाहता हूं कि हम उन्हें बता देना चाहिये कि वह बहुत से अंशधारियों के न्यासी हैं। इसीलिये निदेशकों से सम्बन्धित उपबन्ध की विधेयक में बड़ी आवश्यकता है।

अभी तक क्या होता था कि बोर्ड के कुछ निदेशक प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नामनिर्देशित करते थे तथा शेष अंशधारियों में से चुने जाते थे परन्तु ठीक तौर पर चुनाव कभी भी नहीं होता था तथा अंशधारी बैठक में स्वयं न आ कर अपना मत भेज देते थे। इसलिये मेरा सुझाव है कि जनतन्त्र में ऐसा नहीं होता है। तथा अंशधारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये कि वे इन बैठकों में लाग लें। परन्तु प्रश्न यह हो सकता है कि निर्धन अंशधारी बोर्ड तक आने जाने के लिये धन कहां से लायेंगे। उस के लिये मेरा सुझाव है कि हमें उन्हें यात्रा भत्ता आदि देना चाहिये। हमारी सभी समितियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है इसलिये यह अत्यावश्यक है कि हम यह व्यवस्था रखें जिस से वह बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हो सकें।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि अंशधारी केवल अपने लाभांश तक ही सीमित रहते हैं तथा इस प्रकार की अवस्था में जनतन्त्र ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पाता है। यदि सभी सदस्य यहां किसी महत्वपूर्ण कार्यवश न आ सकें और अपना अपना स्थापनापन्न व्यक्ति भेज दें तो क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार हम समवाय की वस्तुस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। समवाय के कार्य में दिलचस्पी न लेने पर हम अंशधारी को दोष नहीं दे सकते। बजाय इस के कि नियंत्रण ऊपर से लागू किये जायें, मैं समवाय विधि ढांचे के निम्नतम भाग से कार्यवाही आरम्भ करूंगा। मैं कहूंगा कि कार्य संचालन में भाग न लेने वाले संचालक नाममात्र को ही होने चाहियें। यदि कोई व्यक्ति बोर्ड की बैठकों में भी निष्क्रम रहता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिये और ऐसा कोई खंड होना चाहिये कि यदि समवाय के कामों में कुछ कदाचारों को अपनाया जाता है तो केवल प्रबन्ध अभिकर्ता ही नहीं अपितु समूचे रूप में सारे संचालकों को दंड दिया जायेगा। इस के अतिरिक्त एक बात यह है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम ने बहुत उदारता से काम लिया है। हम ने यह उल्लेख नहीं किया है संचालक विशिष्ट राष्ट्र के नागरिक हों। मैं महसूस करता हूं कि यहां कोई ऐसा नियम या खंड अवश्य होना चाहिये कि समवाय स्थापित करते समय संचालकों में कुछ प्रतिशत भारत के नागरिक अवश्य हों। समवाय विधि समिति ने अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ २६ पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुई]

वहां उन्होंने इस संबंध में अमरीका और स्विटजरलैंड की विधियों का उल्लेख किया है जहां स बात का प्रत्यक्ष उपबन्ध है कि समवाय के कुछ संचालक उस देश के नागरिक अवश्य हों जिस देश में कि वह समवाय बनाया जाता है तथा चलाया जाता है। अतः मेरा ख्याल है कि हमें स्विटजरलैंड के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिये जहां यह उपबन्ध है कि समवाय के अधिकतर संचालक स्विटजरलैंड के नागरिक हों।

फिर मैं अंश अर्हता पर आता हूं। खंड २६९ में उल्लेख है संचालक आवश्यक अंश

ले सकेंगा । परन्तु फिर भी कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं भाभा समिति की इस सिफारिश से सहमत हूं कि ये संचालक अन्य व्यक्तियों के नाम में नहीं अपितु अपने नाम में अंश ले सकते हैं। महाराष्ट्र में, संचालकों द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम में अंश लेने और फिर उस के परिमाणस्वरूप पंजी आकर्षित करने तथा अन्त में समवाय को समाप्त करने की इतनी घटनायें हुई हैं कि यदि हम इस बात की गणना करें कि कितने समवाय स्थापित हुए और कितने समवाय बन्द हो गये तो महाराष्ट्र के समवायों की संख्या अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिये ।

फिर मेरा ख्याल है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को संचालक बोर्ड में अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। संचालक बोर्ड में प्रबन्ध अभिकर्ता के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को तानाशाही का सामना करने के लिये सरकार ने खंड ४०७ सम्मिलित किया है। वे कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में सरकार दो व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। मेरा सुझाव यह है कि यदि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अपने व्यक्तियों का नाम निर्देशन करने की अनुमति नहीं दी जाती है और प्रत्येक संचालक के लिये यह आवश्यक बनाया जाता है कि उसे अपने आप को निर्वाचन के जनतन्त्री ढंग से निर्वाचित कराना होगा तो प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का कोई अन्य ढंग होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं श्री नथवानी और श्री मुरारका के इस सुझाव का समर्थन तथा उस की सिफारिश करता हूं कि निर्वाचन का कोई ऐसा ढंग होना चाहिये जिस से विभिन्न मत वाले अंशधारियों का भी प्रतिनिधित्व हो सके। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें सामूहिक मतदान का ढंग अपनाना चाहिये यदि यह नहीं अपना सकते तो एक हस्तांतरण हो सकने वाले मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ढंग अपनाना चाहिये, यद्यपि यह दूसरा ढंग कार्यरूप में लाना कठिन होगा। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने दीजिये जितने कि संचालक हों ।

विधेयक के २७९ से २८१ के खंडों में कुछ आयु सीमा का प्रबन्ध किया गया है। मैं इस प्रबन्ध का स्वागत करता हूं । भाभा समिति ने भी इस आयु सीमा की सिफारिश की है । मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, और प्रत्यक्ष ढंग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक समवाय के सारे मजदूरों के मज़दूर संघ बनाने पर बाध्य करना चाहिये ताकि वे सामूहिक रूप में अपना प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर सकें।

मैं "प्रबन्ध अभिकर्ता" संज्ञा का विरोध नहीं करता। आज की स्थिति का उत्तरदायित्व उस अवसर पर है जो हमने इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं को परिस्थिति से लाभ उठाने के लिये दिया था । आप उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दें कि वे संचालक बोर्ड में अपने व्यक्ति रख सकते हैं। इस के अतिरिक्त उन के वेतनों में और अधिक कमी होनी चाहिये। समिति ने कहा है कि एक प्रबन्ध अभिकर्ता अब भी बीस समवाय चला सकता है। हम चाहते हैं कि एक प्रबन्ध अभिकर्ता एक ही समवाय रखे ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुनझुनू) : सर्वप्रथम, मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि संयुक्त समिति को विधेयक सौंपते समय अनेकों माननीय सदस्यों ने आलोचना की थी कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली संबंधी उपबन्ध बहुत उदार हैं। उन का विचार था कि समिति उन उपबन्धों पर यदि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को पूर्णतया समाप्त न करें तो, उन्हें कठोर बनाने की दृष्टि से विचार करे। सर्वप्रथम, समिति ने कुछ उपबन्धों द्वारा

[श्री मुरारका]

सरकार को उन उद्योगों की एक नामावली बनाने का अधिकार दिया है जिन में सरकार के मतानुसार प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का अपनाना आवश्यक नहीं है। द्वितीय, उन्होंने कहा है कि उन उद्योगों में भी, जहां प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली निषिद्ध नहीं है, प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने से पहले सरकार की प्रस्वीकृति लेनी होगी और इस बात से सन्तुष्ट हुए बिना कि यह लोक हित के विरुद्ध नहीं है, सरकार प्रस्वीकृति नहीं देगी। तृतीय इस विधेयक में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति दस से अधिक समवायों का प्रबन्ध नहीं कर सकता। चतुर्थ, प्रबन्ध अभिकरण उत्तराधिकार की वस्तु न होगी। इस के अतिरिक्त अब विशेष रूप से यह उपबन्धित किया गया है कि प्रबन्ध अभिकरण के और यदि आवश्यक हो तो उस के साथियों के कार्यों का निरीक्षण और जांच व पड़ताल के लिये सरकार निरीक्षक नियुक्त करेगी ? इसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मानता हूं क्योंकि ऐसी जांच पड़ताल से प्रत्येक बात प्रकाश में लाई जा सकती है।

सभा को स्मरण होगा कि पहिली बार जब यह विधेयक भाभा समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था, उस में प्रबन्ध अभिकर्ता का पारिश्रमिक २१/२ प्रतिशत निर्धारित किया गया था और अब समिति ने यह १० प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त समिति ने यह महसूस किया था कि संचालक बोर्ड का संगठन समवाय विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ता संचालक बोर्ड के अधीन कार्य करता है। यदि बोर्ड ही शक्तिशाली है तो कदाया की सम्भावना अपेक्षिता कम होती है। अतः विधेयक में यह कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकरण संचालक बोर्ड में दो से अधिक संचालक नहीं रख सकता और यदि बोर्ड में संचालक केवल पांच हों तो वह एक से अधिक नहीं रख सकता। इस से भी अधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि यदि प्रबन्ध अभिकर्ता का कोई मित्र आदि, या संबंधी संचालक बोर्ड में नियुक्त होता है तो उसे अन्य व्यक्तियों के ५१ प्रतिशत के बहुमत की अपेक्षा ७५ प्रतिशत का बहुमत प्राप्त करना होगा। मैं समझता हूं कि इस से अंशधारियों के अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण होगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर संयुक्त समिति ने ध्यान दिया वह अल्प संख्या अंशधारियों का प्रश्न है। समिति इस बात की बड़ी इच्छुक थी कि अल्प संख्या अंशधारियों के संरक्षण के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये। समिति ने पहिली बार खंड २६४ में आणुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है। द्वितीय खंड ४०७ में समिति ने उपबन्ध किया है कि शिकायत होने पर यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि समवाय में किसी प्रकार का दमन होता है तो वह बोर्ड में अल्प संख्या के दो प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकती है, आदि, आदि। मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही अच्छा संरक्षण है।

फिर यह निर्धारित किया गया है कि संविध्यात्मक बैठक बुलाने के पूर्व और यहां तक कि अंशधारियों को संविध्यामत्क प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे। मेरा ख्याल है कि इस उपबन्ध से इस उपबन्ध के साथ कि लेखा परीक्षक स्वतन्त्र होंगे और उन पर अंशधारियों या सत्तारूढ़ बहुसंख्या का कोई अंकुश न होगा, समवाय प्रबन्ध में बहुत सुधार होगा। इस के अतिरिक्त, संयुक्त समिति ने यह स्वीकार किया है कि प्रकाशन जनतन्त्रवाद का सर्वश्रेष्ट संरक्षक है। इस सिद्धान्त के आधार पर समिति ने समवाय के अनेकों कार्यों के बारे में सूचना

प्रकाशित करने सम्बन्धी अनेकों उपबन्ध सम्मिलित किये हैं ताकि अंशधारियों को यह विदित होता रहे कि समवाय में क्या हो रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि समिति ने स्वीकृति समाजवादी ढंग के समाज के संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया है । सर्वप्रथम उन्होंने अधिकतम वेतन निर्धारित कर दिया है । विधेयक इसे भी उपबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ता या संचालक है तो वह समवाय के अधीन दूसरा लाभपद स्वीकार नहीं कर सकता । फिर, आगे लोक समवाय और निजी समवाय में भेद कर दिया गया है और यह आवश्यक किया गया है कि निजी समवाय अपने नाम के साथ 'निजी' शब्द लिखेंगे ;

खंड १९७ की अत्याधिक महत्वपूर्ण आलोचना की गई है । इस खंड में दो बातों का उपबन्ध किया गया है, प्रथम, प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध संचालक आदि का वेतन वास्तविक लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक न होगा । द्वितीय, यदि किसी वर्ष समवाय को लाभ नहीं होता है, तो यह राशि ५०,००० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिये । इस राशि के बारे में बहुत आलोचना हुई है । कहा गया है कि अधिक पूंजी वाले समवायों और प्रविधिक सहायता चाहने वाले समवायों के मामले में इस राशि को उचित सिद्ध करना सम्भव न होगा । मेरे माननीय मित्र, श्री अशोक मेहता ने कहा था कि उन्हें रिजर्व बैंक की बुलेटिन से विदित हुआ है कि प्रबन्ध अभिकरणों ने औसत रूप में वास्तविक लाभ का १३.५ और १४ प्रतिशत कमीशन प्राप्त किया था, इस में तथा संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित १० प्रतिशत की सीमा में कोई अधिक अन्तर नहीं है । यह आलोचना बहुत अच्छी नहीं है । क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने यह जानने की कोशिश नहीं की है कि समवाय का वास्तविक लाभ क्या है । बहुत से लोग अवमूल को लाभ से घटाते हैं और अन्य नहीं, आदि । इस विधेयक में प्रथम बार हम ने वास्तविक लाभ की परिभाषा दी है । दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक के उसी बुलेटिन में हम देखते हैं कि जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग के प्रबन्ध अभिकरणों को वास्तविक लाभ का २० प्रतिशत तक कमीशन के रूप में मिला है । अब इस की सीमा १० प्रतिशत निर्धारित कर दी गई है । यदि माननीय मित्र इसे भी समाजवादी विचार नहीं मानते, तो मैं नहीं जानता कि उन का यह कहने से क्या अभिप्राय है कि १० प्रतिशत सीमा निश्चित करने से हम ने प्रबन्ध अभिकरणों के वेतन को घटाने का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा है । यह सीमा संयुक्त समिति ने ही रखी है । बड़े समवाय के मामले में, जिस की पूंजी अधिक हो और जिस का प्रबन्ध अभिकरण हो, मेरा विचार है कि इस सीमा का पालन करना कठिन होगा । अतः मैं महसूस करता हूं कि सरकार को यह अधिकार देने में पर्याप्त औचित्य है कि आवश्यक मामलों में सरकार किसी समवाय को इस सीमा से छूट दे सकती है ।

फिर निजी समवायों के बारे में कहा गया है कि उन पर चिट्ठा प्रकाशित करने, शिक्षित लेखा परीक्षक रखने की शर्तें लगाने से ऐसे समवायों का बनना निरुत्साहित होगा । इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि सर्वप्रथम निजी समवाय को दायित्वों के सीमित होने का लाभ प्राप्त होगा । दूसरा लाभ उन्हें समवाय की निरन्तरता का होगा । तीसरा लाभ, उन्हें अंशों के हस्तान्तरण हो सकने का होगा । इन लाभों के लिये निजी समवाय केवल यह मूल्य दे रहा है कि उसे खातों का लेखा परीक्षण कराना होगा और

[श्री मुरारका]

चिट्ठा की एक प्रति रजिस्ट्रार को देनी होगी। मैं समझता हूं कि प्राप्त होने वाले लाभों का यह मूल्य कोई अधिक नहीं है।

एक समाचारपत्र में मैंने पढ़ा था कि गांवों में शिक्षित लेखा परीक्षक नहीं मिल सकते। मैं पूछता हूं कि गांवों में कितने समवाय हैं? क्या समवाय के अंशधारी को यह अधिकार न हो कि वह यह जाने कि समवाय में क्या होता है। इसका उपबन्ध हमें अवश्य करना चाहिये।

जिन सदस्यों ने यह आलोचना की है कि सरकार, दी जाने वाली इन विस्तृत शक्तियों का दुरुपयोग करेगी, उन्होंने उन शक्तियों पर विचार ही नहीं किया है। शक्तियों के बारे में लगभग जो ९० खंड हैं, उनमें १३ जांच पड़ताल की शक्तियों के बारे में हैं, जिनका प्रयोग सरकार के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। फिर १३ खंड प्रबन्ध-निदेशकों की नियुक्ति और वेतन आदि के बारे में है, जिनका निपटारा भी कोई व्यक्ति या अधिकार निजी रूप में नहीं कर सकता। ये शक्तियां पिछले ३-४ साल से सरकार के हाथ में रही हैं, परन्तु किसी को किसी शिकायत का अवसर नहीं मिला। फिर ११ खंड प्रबन्ध एजेंसियों के बारे में है। सभा उनकी समाप्ति चाहती है। खंड ३२३ के अनुसार उद्योगवार उन्हें आवश्यकतानुसार समाप्त किया जा सकता है। इसे सरकार के सिवा और कौन करेगा? इसी प्रकार समापन (लिक्विडेशन) की कार्यवाही की देखभाल, पंजीयक और समापक की नियुक्ति और तत्सम्बन्धी अन्य कार्य भी सरकार के बिना कौन करेगा? दो-तीन खंड कम्पनियों की निधियों और वित्त के परस्पर सम्बद्ध होने की बात को लेते हैं। इसे सभी एक बुराई मानते हैं। फिर यदि यह शक्ति सरकार को न दी गयी, तो वह अपनी जिम्मेवारी कैसे निभायेगी? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के ५–६ खंडों के बारे में भी सरकार का ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वही जनहित की संरक्षक है।

अपने विमपति टिप्पण में मैं ने तीन बातें कही हैं—संचयी मतदान, पूर्वाधिकार शेयर और सरकार की लेखा-परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति। पहले प्रश्न को मित्रवर श्री एन० पी० नथवानी ने विस्तार से लिया था। प्रबन्धक एजेंट प्रणाली की यहां पर और बाहर जो आलोचना की गई है, वह इसीलिये कि उसमें दुरुपयोग की बहुत गुंजाइश है। पर देखना यह है कि इसके स्थान पर यदि कोई दूसरी प्रणाली आये, तो क्या उसमें ये बुराइयां न रहेंगी। प्रबन्धक एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि वे खर्चीली होती हैं। वे लोग क्रय-विक्रय, रोज़गार आदि सभी बातों पर कमीशन लेते हैं। कम्पनियों की निधियां एक दूसरे से सम्बद्ध रहती हैं और वे लोग उन्हें कम्पनी के नहीं अपने लाभ के काम में लगाते हैं। वे लोग अपने रिश्तेदारों को ही भर लेते हैं, और ये पुत्र-पौत्र और पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। साथ ही उनका समय भी १५-२० वर्ष या एक जीवन-काल तक का होता है। ये बुराइयां मेरी समझ से दूसरी प्रणालियों में भी हो सकती हैं, फिर बुनियादी परिवर्तनों की मांग न करके इसी प्रणाली का विरोध क्यों किया जा रहा है? सचिवों और कोपाध्यक्षों को रखने की जो प्रणाली आप अपनाने जा रहे हैं, उससे स्थिति में क्या अन्तर पड़ेगा? या इसके सिवा और कोई भी तरीक़ा आप रखें, पर प्रबन्ध तो निदेशक-बोर्ड ही चलायेगा, और उनको यदि आज की तरह साधारण बहुमत से चुना जाता रहा, तो अल्पसंख्यक कुछ न कह सकेंगे। चाहे निदेशक बोर्ड हो, या प्रबन्ध-निदेशक, कुछ भी अन्तर न पड़ेगा।

हमें यह कहना चाहिये कि ऐसे निदेशक चुने जायें, जो बहुमत और नियंत्रक गुटों के प्रतिनिधि ही न हो कर स्वतंत्र चलने वाले व्यक्ति हों, और जिनका स्वविवेक बहुमत या अल्पमत से प्रभावित न रहे। इसके लिये समानुपाती प्रतिनिधित्व ही एक मात्र तरीक़ा है। मैं नहीं कहता कि इससे सभी बुराइयां दूर हो जायेंगी, पर यह सुधार की ओर सही दिशा में उठाया गया एक कदम होगा।

मेरे एरणाकुलम के मित्र कल कह रहे थे कि इस प्रणाली को मानने से एकतानता न रहेगी, पर साथ ही वह श्रमिकों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी। यह तर्क ख़तरनाक़ है। यदि आप प्रबन्ध में एकतानता का तर्क मान लेते हैं, तो आप कम्पनी के प्रबन्ध और नियंत्रण के लिये औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधि, सरकारी नाम-निर्देशित व्यक्ति और अन्य प्रतिनिधि न रख सकेंगे।

संयुक्त समिति ने समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को उचित माना है, पर उसका विचार है कि हमें आरम्भ में जल्दी न करनी चाहिये और यह उपबन्ध ऐसा रहे कि दूसरी प्रणाली की भी अनुमति है परन्तु यदि वह इस प्रकार अनुमति देने वाला रहता है, तो कोई भी इसे प्रयोग में न लायेगा और इसका उद्देश्य असफल रहेगा।

पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ने १९३६ में इसी सदन में कम्पनी विधि के ही संशोधन के समय कहा था कि वह एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव रखना चाहते हैं और वह यह कि निदेशकों को एकल-संक्रमणनीय मत द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली से चुना जाये। प्रत्येक वर्ग को जो एक निदेशक चुन सकता है, ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिये। अमरीका के प्रोफेसर बैलेंटाइन का भी विचार है कि यदि संचयी मतदान या समानुपाती प्रतिनिधित्व का विशेषाधिकार अल्पसंख्यकों को देना है, तो यह अनिवार्य होना चाहिये; उसी बहुसंख्यकों के गुटों के लिये ऐच्छिक और अनुमति देने वाला नहीं बनाना चाहिये। बहुसंख्यक-वर्ग को यह अधिकार छीनने की शक्ति भी न होनी चाहिये।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर के सभापतित्व में संयुक्त समिति ने जो महान कार्य किया है, उस के लिये मैं उन के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि वे अपने उद्देश्य में असफल रहेंगे। मैं भी व्यापारी-वर्ग का एक सदस्य हूं और मुझे गर्व है कि उस वर्ग में देश की भौतिक सुख-समृद्धि के लिये बहुत कुछ किया है। परन्तु मैं जीवन में नैतिकता को बहुत मूल्यवान मानता हूं और मुझे खेद है कि उस वर्ग ने समाज-विरोधी कार्यवाहियों का एक बहुत बुरा आदर्श देश के सामने रखा है। व्यापारी वर्ग सरकार को दोष देता है, और सरकार उसे दोष देती है, पर दोनों को अपनी अपनी गलतियां देखनी चाहिये। जून, १९४३ में नियुक्त हुई उक्त समिति ने कहा था कि "इंग्लैंड की अधिकांश निजी और सार्वजनिक समिति सीमित कंपनियाँ ईमानदारी से अपना काम चला रही हैं, काश भारत की कम्पनियों के बारे में भी यही कहा जा सकता।"

मेरा भी यही विचार है। नियंत्रण के समय मैं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से कहा था कि समाज-विरोधी काम छोड़े उन्हें सरकार को सहयोग देना चाहिये। परन्तु उन का उत्तर था कि उन का सब से बड़ा कर्तव्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। हमारे यहां चाहे डाक्टरी हो या वकालत हो, प्रत्येक क्षेत्र में यह पैसे की भावना इतनी शक्तिशाली हो गई है कि इस ने सेवा आदि की अच्छी भावनाओं को बिल्कुल दबा दिया है। हमें पैसे की भावना

[श्री झुनझुनवाला]

का अंत करके सेवा की भावना का उद्धार करना होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिये यह अधिक उत्पादन से भी अधिक आवश्यक है। हमारी स्वाधीनता एक आध्यात्मिक विजय थी, पर आज वह भावना लुप्त होती जा रही है। अब कुछ व्यापारियों और प्रबन्ध ऐजेंटों को पछतावा होने लगा है, पर मुझे इस में सन्देह ही है।

मैं मानता हूं कि श्री तुलसी दास और श्री सोमानी की यह आशंका ठीक है कि उन्हें खतरा बना रहेगा, पर इस के लिये ज़िम्मेवार कौन है? बड़े व्यापारियों को स्वयं नैतिक आचरण का कुछ आदर्श रखना चाहिये। यदि वे स्वयं सुधर जायें, तो सरकार को कोई कार्यवाही न करनी पड़ेगी।

मैं ने कुछ नियंत्रित उद्योगों में काम किया है, और सरकारी काम में, परमिट लेने आदि में ही बहुत समय लग जाता था। पर सरकार या व्यापारियों का परस्पर एक दूसरे को दोष देना ठीक नहीं। श्री चटर्जी ने कहा था कि अंशभाजकों को कुछ वास्तविक संरक्षण दिया जाना चाहिये, केवल वैध सिद्धान्तों से कोई लाभ नहीं। तब तक मोटे-मोटे विधान बनाने से ही कोई लाभ न होगा। श्री मुरारका और श्री एन० पी० नथवानी ने समानपाती प्रतिनिधित्व के लिये निश्चित सुझाव दिया था, मैं मानता हूं कि व्यापार निर्विघ्न रहने से ही चलता है, और बाहरी व्यक्तियों के बाधा देने पर कम्पनी में एकतानता नहीं आ सकती। परन्तु प्रबन्धक एजेन्टों ने अंशभाजकों के विरुद्ध जो पाप किये हैं, उन का फल उन्हें भुगतना होगा। वे अंशभाजकों के प्रति कितना अत्याचार कर सकते हैं, इस का एक उदाहरण मैं अपने अनुभव से देता हूं। वित्त मंत्री ने बताया था कि कांडयन् नरेशों के समय आदिकारों को किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये कत्ल करने का अधिकार था, पर आज कोई भी वह शक्ति सरकार को नहीं दे सकता। उसी प्रकार प्रबन्धक ऐजेंटों ने बिना कारण बताये अंशों के तबादले की अनुमतियां नहीं दी हैं। अंशभाजकों को न्यायालयों में सिद्ध करना पड़ता था कि यह बदनीयती से किया गया है। इस प्रकार की शक्तियां उन्हें दी गई थीं। एक प्रबन्धक एजेन्ट एक अंशभाजक के अंश सस्ते में खरीदना चाहता था, उस ने ज्ञापन और नियमों में उस दृष्टि से उपयुक्त संशोधन कर लिये। जब हम ने अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम उन के अंशों के तबादिले की बात कही, तो उस ने इनकार कर दिया और कहा कि वह उन्हें अंकित मूल्य पर या डेढ़ गुने में खरीद लेगा। बाजार में उन की दर दस गुनी थी। परन्तु उन का तबादिला न हो सकता था, अतः कोई उन्हें खरीदने को तैयार न था। श्री सोमानी या श्री तुलसी दास जैसे किसी व्यक्ति के कहने पर उस ने उपबन्धक ऐजेंटों से कहा कि वह उलटे उस के अंश ४०० रुपये की दर से ले लेगा, पर प्रबन्धक एजेंट ने बेचने से इन्कार कर दिया। तब किसी दूसरे बीच के मित्र ने उसे सहायता दी कि वह अपने अंश दूने दाम पर उसे बेच दे। इस प्रकार अंशों का तबादिला अस्वीकृत कर दिया गया। वह गरीब आदमी न्यायालय तक जाने के लिये समर्थ न था। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय किसी दूर के शहर में था। उस ने उस शहर के एक मित्र के द्वारा एक वकील से खर्चे के बारे में पूछा तो पता चला कि जांच के लिये भेजे जाने पर एक हजार रुपये और पहिली बार में ही तबादिला हो जाने पर पांच सौ रुपये खर्च होंगे। उस ने मुकद्दमा दायर करा दिया। न्यायालय ने पहली सुनवाई के बाद कहा कि इसे साक्ष्य के लिये भेजा जाय। फिर मामला उसी न्यायाधीश के पास साक्ष्य लेने के लिये आया, तब यद्यपि न्यायाधीश साक्ष्य के लिये आदेश दे चुके थे, तथापि दूसरे पक्ष को तर्क करने दिया गया और उस के बाद न्यायालय

ने कहा "अंशधारी को नियमित रूप में दावा दायर करना चाहिये । इस समय साक्ष्य नहीं लिया जा सकता।" और दावा करने का मतलब था दस से पन्द्रह हजार रुपये का अधिक व्यय । सालिसिटर का बिल भी १००० रुपये के स्थान पर ५००० रुपये बना । आप बेचारे अंशधारी की शोचनीय दशा का विचार कर सकते हैं ।

अतएव मेरा कहना है कि इस विविध सिद्धान्त के अन्तर्गत जो रक्षा प्रदान की गई है, वह भ्रमात्मक है । मैं एक और उदाहरण द्वारा यह दिखाऊंगा कि प्रबन्ध अभिकर्ता किस किस प्रकार से अल्पसंख्यक अंशधारियों को दबाने की चेष्टा करते हैं । मुझे एक मामले, का पता है जिस में एक प्रबन्धक अभिकर्ता मूल समवाय की रक्षित निधि में से राशि ले कर एक दूसरे समवाय के हिस्से खरीदे थे । जिस समवाय के हिस्से खरीदे गये थे, वह हानि में जा रहा था । यह हिस्से २०, ३० तथा ४० प्रतिशत अधिक दामों पर खरीदे गए । खरीदने का कारण यह था कि उस हानि वाले समवाय में प्रबंधा अभिकर्ता का जामाता फंसा हुआ था ? अतएव हम विभिन्न समवायों में परस्पर धन-विनियोग का समर्थन नहीं कर सकते ।

अब जहां तक इस विधेयक के प्रशासन का सम्बन्ध है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे, किसी सरकारी विभाग द्वारा ही चलाया जाना चाहिये, परन्तु उन्हें पहले की भांति लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिये ।

अन्त में मैं अनुपाती प्रतिनिधित्व के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । किसी प्रकार से कोई तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे अल्पसंख्यक हिस्सेदारों को प्रबन्ध-व्यवस्था में कुछ भाग मिल सके । उन्हें सभी गुप्त बातों की सूचना रहनी चाहिये ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : प्रथम बार सन १८५० में समवाय अधिनियम बनाया गया था । तब प्रथम बार निगमित निकाय के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था ।

यद्यपि इस विधेयक को इंगलैंड की विधि की पूरी नकल नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह एक विचित्र सी बात है कि जब कभी कोई विधान बनाया जाता है तो उसे तब पेश किया जाता है जब उसी प्रकार या लगभग उसी प्रकार का कोई विधान इंगलैंड में पास हो चुका हो । सन १९२९ में इंगलैंड में एक मुख्य संशोधन पारित हुआ था जो बाद में इस देश में भी किया गया । फिर १९४८ में वहां नया समेकित विधान पारित किया और हम १९५५ में उनका अनुसरण कर रहे हैं । इसमें कोई दोष नहीं है ।

यह विधेयक बहुत बड़ा तो है परन्तु क्या ही अच्छा होता यदि यह उतना ही स्पष्ट भी होता । इस में मुख्यतः प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली पर ही चर्चा हो रही है और बाकी त्रुटियों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है । और कई उपबन्धों में ऐसी त्रुटियां रह गयी हैं जिन के कारण सरकार का धन नष्ट होता है परन्तु उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता ग्राह (शार्क) हैं । परन्तु ग्राह तो केवल ग्रस ही लेता है ये प्रबन्ध अभिकर्त्ता जोंकों की तरह लहू चूसते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि उन्हें रहने दिया जाना चाहिए या नहीं । यदि उनकी हानि पहुंचाने की शक्ति छीन ली जाय, उनके ज़हर के दांत निकाल दिये जायें तो वे समाज के लिये लाभप्रद हो सकते हैं ।

[श्री टेकचन्द]

सरकार ने अच्छा किया है जो यह प्रयत्न किया है कि इन्हें समाप्त करने की बजाय इन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की जाये । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का रहना देश के समाजवादी ढांचे की हमारी धारणा के विरुद्ध है । मुझे उन का यह तर्क समझ में नहीं आया । जब तक देश में गैर सरकारी उद्योग रहेंगे और समवायों के अंशधार रहेंगे तब तक यह समस्या हमारे सामने रहेगी कि इस पद्धति का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे हो । हमें इन प्रबन्धकर्त्ताओं के अनुभव से लाभ उठाना है ।

मैं इस सम्बन्ध में सरकार की नीति से सहमत हूं परन्तु खण्ड ३३१ का उप-खण्ड मुझे पसन्द नहीं जिसमें कहा गया है कि यदि किसी अभिकर्ता के प्रबन्ध में १० से अधिक समवाय रहेंगे तो उसे १००० रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा । यह तो बहुत ही कड़ा उपबन्ध है और यदि यह हटाया न जाये तो कम से कम नरम तो अवश्य कर दिया जाये ।

हम ने अपना सारा गुस्सा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं पर ही निकाल दिया है और समवाय प्रारम्भ करने वालों और परिसमापकों को बिल्कुल ही भूल गये हैं जो कि अपनी चालाकियों से समवाय को प्रारम्भ में ही कमज़ोर बना देते हैं । प्रश्न यह है कि ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये हम ने इस विधेयक में क्या उपबन्ध किया है ।

उत्तर में संभवतः हमारा ध्यान खंड ४३, ५५ और अनसूची २ की ओर दिलाया जायेगा । हमने विशेषज्ञों की व्यवस्था की है और उनकी मंजूरी पहले ली जाती है न तो अनुसूची २ के पैरा १२ और १६ में और न ही खंड ४३ और ५५ में उन की इस धोखेबाजी की ओर जो कि बहुत प्रचलित है, निर्देश किया गया है । पैरा १६ में उपबन्ध किया गया है कि विवरण पत्रिका के साथ तिथियां, पक्षों के नाम और संविदा का सामान्य विवरण भी होना चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि ऐसी संविदाओं की प्रतियां छपवा कर अंशधारियों को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे इन की जांच कर सकें ।

दूसरा वर्ग, जिसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया, परिसमापकों का है । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसे आंकड़े इकटठे करें जिन से मालूम हो सके कि परिसमापकों को फीस और पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपया दिया गया है । प्रतिवेदन के पैरा १५० नें कहा गया है कि अब से यदि परिसमापन न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तो यह सरकारी परिसमापकों द्वारा कराया जायेगा । मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं, यद्यपि मैं जानता हूं कि बहुत से परिसमापन न्यायालय के अधीक्षण में और स्वेच्छा से भी किये जाते हैं । मैं पीपल्ज़ बैंक आफ नार्दर्न इंडिया के परिसमापन का उदाहरण देता हूं और चाहता हूं कि सरकार यह मालूम करे कि इसके परिसमापकों ने कितना अधिक रुपया कमाया था ।

इस समवाय विधि को समवाय दंड संहिता भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर तीसरे खंड के बाद किसी न किसी दंड की व्यवस्था की गई है । निस्संदेह उन लोगों पर जो लोगों के रुपये से खेलते हैं दया नहीं करनी चाहिये । किन्तु उन लोगों की रक्षा तो की ही जानी चाहिए, जिन के हित में आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं ।

यदि आप किसी दोषी निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्त्ता या परिसमापक को कैद का दंड दे देते हैं, तो इससे अंशधारियों को क्या लाभ होगा ? विधि ऐसी होनी चाहिए कि वे कोई शरारत कर ही न सकें। दूसरे शब्दों में विधि को दंडात्मक होने की बजाय निवारक होना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि हम उपचार के उपायों पर ज़ोर दें और उन कार्यों को जिन्हें हम दंडात्मक बनाना चाहते हैं, शून्य घोषित करें मैं यह नहीं कहता कि दंड की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिये, उचित अवसरों पर दंड देना आवश्यक है किन्तु सरकार को मैं यह सुझाव देता हूं कि विधि ऐसी बनायी जानी चाहिए कि उस से आपत्तिजनक कार्य अप्रभावी हो जायें और शरारत को समय पर रोका जा सके ।

दूसरी ओर कुछ दंड आप ने ऐसे रखे हैं जिन्हें मैं बहुत ही कठोर समझता हूं । उदाहरणार्थ, यदि किसी निदेशक को छः मास की कैद का दंड मिला है, तो वह अनर्हीकृत हो जाता है। केवल कैद की अवधि से ही आप यह निर्णय करते हैं कि निदेशक को बोर्ड से हटा दिया जाये। यह बहुत शोचनीय बात है कि आप ने प्रविधिक अपराध और नैतिक पतन के अपराध में कोई भेद नहीं किया। मेरे विचार में अनर्हीकरण के मामले में यह भेद करना आवश्यक है और ज़ोर कैद की अवधि पर नहीं बल्कि इस बात पर दिया जाना चाहिए कि अपराध किस प्रकार का है ? प्रविधिक अपराध बहुत से हैं और मेरे विचार में किसी ऐसे अपराध के कारण किसी निदेशक को अनर्हीकृत करना उचित नहीं होगा ।

अन्य मामलों के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि आन्तरिक शान्ति के हेतू कर्मचारियों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, क्योंकि बोर्ड के सामने उन की सेवा की शर्तों, वतन आदि के महत्वपूर्ण मामले पेश होंगे । अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है ।

मंत्रणा निकाय या संविहित निकाय का मामला विवदास्पद है । दोष दोनों में ही है; किन्तु मैं समझता हूं कि संविहित निकाय अधिक वांछनीय है । सरकार सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है और संविहित निकाय स्थापित करने से सरकार की शक्तियों में कोई कमी नहीं होती । इंग्लेंड और अमेरिका में भी इस प्रयोजन के लिये संविहित निकाय हैं और वे सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ।

मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे मामलों में, उदाहरणतया अंशों के हस्तान्तरण के मामले में सरकार न्यायालय या मध्यस्थ का काम न करे। यदि ऐसे प्रत्येक मामले का सरकार ही निर्णय करे, तो इस में कितना समय लग जायेगा और कितने कर्मचारी रखने पड़ेंगे ? ये मामले न्यायालयों पर छोड़ दिये जाने चाहियें ताकि वे दोनों पक्षों के साक्ष्य को देखकर निर्णय कर सकें ।

मैं संविहित निकाय के समर्थन में सभा का ध्यान भाभा समिति के प्रतिवेदन के पैरा २५७ की ओर दिलाता हूं और चाहता हूं कि इस में दिये गये तर्क को स्वीकार किया जाये ।

अन्त में मैं इस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों का पूर्णतः समर्थन करता हूं, यद्यपि उन्हें उचित रूप दिये जाने की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि सरकार ऐसा करेगी ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड–सोरठ) : यह लम्बा और पेचीदा विधेयक ९ साल के परिश्रम का फल है और इस का संयुक्त समिति ने पूरी तरह पुनरीक्षण किया है ।

[श्री सी० सी० शाह]

मैं इस के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख करना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें, कि यह इतना लम्बा और पेंचीदा क्यों बना ।

अन्य विधियों की तुलना में समवाय विधि की उत्पत्ति हाल में हुई है और यह अब भी विकसित हो रही है । इस को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये, इस का निरन्तर पुनरीक्षण आवश्यक है

इस संशोधक और समेकन विधेयक द्वारा बहुत हद तक यह प्रयोजन पूरा होता है १९३६ के अधिनियम में जो दोष हैं, वे अब दूर हो जायगे । संयुक्त स्कन्ध समवाय के आधारभूत सिद्धान्त दो हैं । कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुह, जो अपने आप को योग्य और ईमानदार बतलाते हैं, एक उपक्रम शुरू करने के लिये जनता से रुपया इकठ्ठा करते हैं । जो इस उपक्रम में सम्मिलित होते हैं, उन का दायित्व सीमित होता है, इन दो सिद्धान्तों के कुछ परिणाम अनिवार्य हैं । पहला यह है कि ऐसे समवाय शुरू करने वालों का जनता के प्रति यह कर्तव्य है कि वे समवाय की स्थिति और उस में अपने हितों के बारे में पूरी पूरी जानकारी दें । दूसरा यह कि प्रबन्धकों को समय समय पर रिपोर्टों, संतुलन पत्रों, लेखाओं, पंजियों आदि के द्वारा समवाय के कार्य-संचालन के विषय में पूरी पूरी जानकारी देनी चाहिये ताकि जनता और अंशधारियों को समवाय का पूरा पूरा हाल मालूम हो सके । तीसरी बात यह है कि अंशधारियों को, जो कि समवाय के मालिक होते हैं, समवाय के मामलों पर पूरा नियंत्रण करने का अवसर मिलना चाहिये : चौथी बात यह है कि निदेशिक बोर्ड अंशधारियों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिये और इसे अपने कार्य स्वतन्त्र रूप से करने चाहियें बोर्ड में अंशधारियों के प्रतिनिधि तो होते हैं किन्तु साहूकारों के नहीं होते । इसलिये उन के हितों को कई बार अधिक खतरा होता है सरकार का कर्तव्य है कि वह दोनों के हितों की रक्षा करे ।

अन्तिम बात यह है कि प्रबन्धकों को केवल उतना रुपया पारिश्रमिक के रूप में लेना चाहिये जो कि वैधानिक रूप से उचित तथा न्याय्य हो, इस से अधिक नहीं ।

यदि इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए इस समय समवायों के प्रबन्ध की जांच की जाये, तो मालूम होगा कि हालत अत्याधिक खराब है और हजारों तथाकथित समवाय लोगों की अज्ञानता से लाभ उठा कर उन्हें दोनों हाथों से लूट रहे हैं । हजारों लोग ऐसे समवायों में अपना रुपया नष्ट कर चुके हैं । इस के फलस्वरूप स्कन्ध संयुक्त समवायों में लोगों को विश्वास नहीं रहा और केवल समवायों के नियंत्रण की प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन से ही यह विश्वास फिर पैदा किया जा सकता है । इस स्थिति को देखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । यदि हम ने प्रबन्धकों पर कड़ा नियंत्रण न रखा तो हम अंशधारियों और साहूकारों में दोनों के प्रति, जो संयुक्त संघ समवायों अपना रुपया लगाते हैं अपना कर्तव्य पूरा न कर सकेंगे । जनता को मालूम होना चाहिये कि समवायों का प्रबन्ध किस प्रकार का होगा और किस पर सरकार का क्या नियंत्रण होगा, ताकि वह अनुभव कर सके कि उस का रुपया सुरक्षित रहेगा ।

समवाय विधेयक एक विनियमन कारी विधान है और यह तभी सफल हो सकता है जब वे लोग जिन के विभिन्न विनियमन के लिये यह बनाया जा रहा है, स्वेच्छा से सहयोग दें । क्या इस देश में वे लोग, जो समवायों का प्रबन्ध करते हैं, स्वेच्छा से अनियमताओं को रोकने के लिये पग उठाते हैं और बुराइयां दूर करने का प्रयत्न करते हैं ? यदि वे ऐसा नहीं करते तो क्या यह है, शिकायत करना उचित

कि विनियमन बहुत अधिक है? यद्यपि इस विभाग का प्रवर्तन स्वयं सरकार के लिये अरुचिकर होगा, तथापि वर्तमान परिस्थितियों में यह अनिवार्य है। यदि कोई यह समझता है कि समवाय प्रबन्ध की स्थिति का वर्णन करते हुए मैं ने अतिशयोक्ति से काम लिया है, तो मैं उस से भाभा समिति के सामने प्र तुत किये गये साक्ष्य का अध्ययन करने की प्रर्थना करूंगा मैं उदाहरण दे कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे और महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

विनियमनकारी विधान के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि उस से सम्बन्धित लोग उस का पालन न कर के केवल शब्दों के रूप में रहने देना अपना कर्तव्य समझते हैं। कोई भी विनियमन चाहे वह कितना ही लम्बा चौड़ा क्यों न हो सारी आकस्मिकताओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। अत: मैं निवेदन करूंगा कि समवायों का प्रबन्ध करने वाले इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग देंगे। आज आयकर की भांति समवाय विधि में भी प्रबन्ध करने वालों और जिन के लिये प्रबन्ध किया जाता है उन के बीच कशमकश चल रहा है। हम जो कुछ इस विधेयक में व्यवस्था कर रहे हैं इस से हम जानते हैं कि सारी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता फिर भी मैं यह नहीं कहता कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिये। सम्भवत: यह कहना सच है कि विधान के द्वारा हम किसी को सदाचारी नहीं बना सकते। फिर भी यह सच है कि यदि विधि बुरे लोगों को अच्छा नहीं बना सकती तो वह अच्छे लोगों को बुरे बनाने से अवश्य रोकती है। उस का अपना अलग प्रतिबन्धात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश लोग विधि का उल्लंघन नहीं करते। उन का मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई नियम ही नहीं होगा तो वे स्थिति से अवश्य लाभ उठायेंगे। देश की वर्तमान परिस्थिति में हम ने इस विधेयक में जो उपबन्ध रखे हैं वे आवश्यक हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। प्रबन्ध करने वाले लोग, हो सकता है, इस में कुछ परिवर्तन करना चाहें किन्तु जहां तक विस्तृत उपबन्धों का प्रश्न है, यदि हम यह समझते हैं कि कोई उपबन्ध विशेष दमनकारी होगा तो हम उस में संशोधन कर सकते हैं। समवाय विधि का उद्देश्य औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है तथा अंशभागियों और जन साधारण के हितों की रक्षा करना है। उस का उद्देश्य प्रबन्धकों का दमन करना नहीं है किन्तु साथ ही उस में से उपबन्ध भी किये जाने होंगे, यदि ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। अत: देश में विद्यमान प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के कारण इन उपबन्धों का होना आवश्यक हो गया है। यद्यपि हमारे देश में ईमानदार, योग्य और जोखिम उठाने वाले व्यक्ति मौजूद हैं, आज की परिस्थिति यह है कि सभा और उस के बाहर के लोगों में एक बड़ी तीव्र भावना यह है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है और उसे तोड़ दिया जाना चाहिये। मैं इस मामले पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि संयुक्त समिति ने कुछ निर्णय किये हैं।

मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। इस प्राणाली का प्रादुर्भाव जिन बातों को ले कर हुआ था उस में से अब एक भी विद्यमान नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार स्वयं इस की इच्छक है कि कोई भी उद्योग वित्तीय सहायता अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता से वंचित न रहे। किसी समय में अवश्य प्रबन्ध अभिकर्ता उद्योगों को वित्त दिया करते थे। आज सरकार उस से कहीं अधिक वित्तीय सहायता दे कर अन्य विभिन्न प्रकार से समवायों की सहायता करती है। आप देखेंगे कि एक करोड़ रुपये की पूंजी वाले समवाय को सरकार से तीन करोड़ रुपये की सहायता मिली है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अनुबन्ध

[श्री सी० सी० शाह]

और उन की प्रतिमा अवश्य हमें मिलती है किन्तु इस का हमें बड़ा मंहगा मूल्य चुकाना पड़ता है। वे वित्त न दे कर समवाय के वित्तों का अन्य प्रयोजनों में प्रयोग करते हैं। और लाखों रुपया उन्हें कमीशन के रूप में मिलता है। क्या यह उचित है ?

अब सरकार को यह अधिसूचित करने का अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी उद्योग विशेष को प्रबन्ध अभिकर्ता की आवश्यकता है या नहीं। सामान्यतः प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति सरकार की सहमति से ही की जानी है। दो बातें तो ये हैं। तीसरा उपबन्ध यह है कि यदि पहले से इसे पुनः लागू न किया गया तो १५ अगस्त, १९६० से प्रबन्ध अभिकरण करार समाप्त हो जायेंगे। इस से धीरे धीरे प्रबन्ध अभिकरणों की समाप्ति हो जायेगी। हम एक दम प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त करने के बजाय एक एक उद्योग अथवा एकक में इस प्रणाली को समाप्त करेंगे। केवल ईमानदार और कुशल प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जायेगी। इस का निर्णय सरकार करेगी।

पारिश्रमिक के लिये हम ने यह व्यवस्था की है कि प्रबन्ध अभिकर्ता को १० प्रतिशत और प्रबन्ध निदेशकों तथा अन्य लोगों को ५ प्रतिशत दिया जायेगा। प्रबन्ध अभिकर्ता के लिये १० प्रतिशत नियत करना कोई नई बात नहीं है। यह व्यवस्था तो इस समय भी विद्यमान है। हम पारिश्रमिक में किस प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं। खंड १९७ और ३५२ में ११ प्रतिशत समस्त पारिश्रमिक के रूप में और ५०,००० रुपये तक की राशि न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने का उपबन्ध है। अब सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि ५०,००० रुपये के न्यूनतम पारिश्रमिक से कुछ मामलों में कठिनाई उपस्थित होगी। ऐसे मामलों में सरकार इस सीमा में कुछ छूट देने की शक्ति प्राप्त करने का विचार कर रही है। यह सरकार की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। सरकार यदि इस जिम्मेदारी को लेना चाहे तो मुझे उस में कोई आपत्ति न होगी।

सचिवों और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वर्तमान उपबन्ध प्रबन्ध अभिकर्ताओं और प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली, जो हम ने अपनाई है, उस की अन्तर्निहित नीति से असंगत जान पड़ती है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सम्भवतः इस से अन्तर्निहित नीति असफल रहेगी और ये उपबन्ध संयुक्त समिति के निर्णयों के बाहर के भी हैं।

रक्षित निधियों के विनियोग में चार वर्ग बुराइयां आ गई हैं। निदेशक और प्रबन्धक अभिकर्ताओं को ऋण दिया जाना, एक ही के समवायों में विनियोग और उसी एक ही प्रबन्ध के अधीन समवायों को ऋण का दिया जाना। इन चार बुराइयों को हमें रोकना है। निदेशकों को ऋण देने आदि के अतिरिक्त हम समवायों में विनियोग पर कुछ भी तो नियंत्रण नहीं रखते। विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिस के द्वारा यदि किसी कम्पनी के पास दो करोड़ रुपया रक्षित निधि के रूप में है और वह उस का किसी अन्य समवाय में विनियोग कर के उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहे, तो आप प्रबन्ध अभिकर्ता की कार्यवाही पर नियंत्रण लगा सकें। अतः ऐसे नियंत्रण के लिये उपबन्ध का होना अत्यावश्यक है।

मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दे रहा हूं। एक कम्पनी के पास लगभग ४ करोड़ रुपया रक्षित निधि है जिस ने २ करोड़ रुपया एक सहायक समवाय में चौथाई प्रतिशत संचयी पूर्वाधिकार अंश में विनियोग कर दिया। उस ने उक्त सहायक समवाय को १½ करोड़ रुपया ऋण भी दे दिया है। अब मूल समवाय एक और सार्थ खोलने के लिये धन चाहता है। वह अपनी ४ करोड़ रक्षित निधि प्रयोग में लाने के बजाय, जिस का वह विनियोग कर चुका है, सरकार से ५½ प्रतिशत संचयी पूर्वाधिकार कर

मुक्त अंश जारी करने की अनुमति चाहता है। आश्चर्य है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सरकार ने अनुमति दे दी।

श्री सी० सी० शाह : सरकार ने अनुमति दे दी है जैसा कि हम बीमा अधिनियम में कर चुके हैं। रक्षितनिधि पर नियंत्रण लगाने के लिये उपबन्ध लगाना आवश्यक है।

अब हम 'पार्षध' की परिभाषा को लेते हैं। हमने इस बात की व्यवस्था की है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को क्रय अथवा विक्रय अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रबन्ध अभिकर्ता इतना ही नहीं वरन्, अपने परिवार के सदस्यों को नाम से खूब लाभ कमाते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता सार्थ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस उपबन्ध के अधीन निदेशक अथवा प्रबन्धक अपने किसी सम्बन्धी अथवा मित्र को क्रय अथवा विक्रय अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

निजी समवाय के विषय में मुझे यह कहना है कि निजी समवाय की परिभाषा में हमें वही उपबन्ध अपनाना चाहिये जो हमने आय-कर अधिनियम में अपनाया है। यदि किसी समवाय का नियंत्रण पांच या छः व्यक्ति करते हैं, तो साधारणतः वह नाममात्र का सार्वजनिक समवाय होती है। वास्तव में यह एक निजी समवाय है।

प्रबन्ध समवायों के लिये एक स्वतंत्र बोर्ड होना बहुत आवश्यक है। आज जिन लोगों का नियंत्रण होता है वे प्रबन्ध अभिकर्ता बोर्ड में अपने ही लोगों को नियुक्त कर देते हैं। अंशधारियों के सम्पूर्ण देश में फैले होने के कारण शायद ही उन्हें कभी अपने लोगों को नियुक्त करने का अवसर मिलता हो। इस परिस्थिति को सुलझाने के लिये दो खण्ड रख गये हैं। मेरे मित्र श्री एन० वी० नथवानी और श्री मोरारका ने ,जो प्रणाली बताई है वही अपनाई जानी चाहिये, भले ही वह कार्यान्वित करने में कठिन जान पड़े।

मुझे हर्ष है कि खण्ड ४०७ के अधीन सरकार ने दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार रखा है। इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जायेगा यदि दस प्रतिशत अंशभागी आवेदन करें। मेरा निवेदन है कि उपबन्ध यह होना चाहिये कि यदि १० प्रतिशत या १०० अंशधारी आवेदन करें तो इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा। सिन्दिया जैसे बड़े समवायों में १० प्रतिशत अंशधारियों का सहयोग प्राप्त करना बड़ा कठिन होगा। यदि १०० अंशधारी सरकार से आवेदन करते हैं तो सरकार को जांच करनी चाहिये कि इस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है अथवा नहीं।

यह कहा गया है कि निजी समवायों के लिये भी अब जो उपबन्ध रख दिये गये हैं, वे अनावश्यक हैं और नहीं होने चाहिये। यहां पर यह कहना भी गलत है कि जनता को निजी कम्पनियों से कोई मतलब नहीं, किन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ निजी समवायों का कार्यक्षेत्र अनेक सार्वजनिक समवायों से कहीं बड़ा है। आज एक निजी समवाय में अंशधारियों के रूप में २० लिमिटेड समवाय हो सकते हैं और उसमें कई करोड़ रुपये की पूंजी लग सकती है। ऐसी दशा में निजी समवायों को भी आगे बढ़ना चाहिये और समवाय विधि से लाभ उठाना चाहिये तथा पूंजी के सम्बन्ध में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिये। निजी समवायों के अपने कार्य-संचालन के विषय में पूरी पूरी जानकारी

[श्री सी० सी० शाह]

देने में हिचकिचाना नहीं चाहिये। उससे पता लग जायेगा कि समवाय की दशा क्या है। इस सम्बन्ध में बम्बई अंशभागियों के ज्ञापन में ऐसे कई उदाहरण दिये गये हैं जिसमें निजी समवायों के बढ़े हुये कार्यों का उल्लेख किया गया है।

एक सुझाव यह दिया गया था हमें भी मुक्त निजी समवायों की एक श्रेणी बनानी चाहिये किन्तु मेरे विचार से ऐसा करना अभी समय से बहुत पूर्व और भी कठिन होगा।

हमने एक प्रबन्ध अभिकर्ता को १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध न करने देने का उपबन्ध किया है। हमने किसी एक व्यक्ति द्वारा धारण किये जाने वाले निदेशक पदों की संख्या को भी सीमित कर दिया है।

एक अन्य सदस्य ने ठीक ही कहा है किहमें यह देखना चाहिये कि समवाय कितना बड़ा है। हमें इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि एक ही समवाय अपने अधीन अन्य विभिन्न प्रकार के कारखाने नहीं खोल सकेगा। इन सबको अलग अलग समझा जायेगा। अतः हमें आशा है कि देश की आर्थिक दशा और निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक इस विधेयक का उल्लंघन नहीं करेंगे।

विधि को लागू करने के तरीके के लिये भाभा समिति ने एक केन्द्रीय प्राधिकार की सिफारिश की थी। सरकार ने एक मंत्रणा आयोग की व्यवस्था की है। इस अधिनियम को लागू करना बड़ा कठिन होगा इस कारण इस प्रयोग को पहले हमें देख लेना चाहिये। इस अधिनियम के अधीन सरकार ने बड़ी ज़बर्दस्त जिम्मेदारी ली है और जनता बड़ी सतर्कता से यह देखेगी कि सरकार इस अधिनियम को किस प्रकार लागू करती है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस बात का वचन दिया है कि वह प्रत्येक वर्ष अधिनियम के प्रवर्तन पर एक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा करेगी जिससे कि सभा को उस पर विचार करने का अवसर मिल सके।

कहा गया है कि मंत्रणा आयोग में पर्याप्त योग्यता वाले लोग होंगे। मैं नहीं कह सकता कि सरकार का अभिप्राय किस प्रकार की योग्यता से है; परन्तु मैं यहां एक-दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आयोग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रखा जाना चाहिये जिसके हितों पर उसके कर्तव्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। यदि ऐसे व्यक्ति रखे गये तो इस विधि का सन्तोषजनक प्रवर्तन नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आयोग में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं रखा जाना चाहिये। जिसका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण सरकार की नीति अथवा सामाजिक उद्देश्यों सम्बन्धी नीति से असंगत अथवा प्रतिकूल हो।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोग में तीन प्रकार के व्यक्तियों का होना अत्यधिक उपयोगी होगा। मेरा अभिप्राय वकीलों, सक्षय लेखापरीक्षक तथा टेक्निकल मंत्रणादाताओं और न्यायिक ज्ञान वाले व्यक्तियों से है। यदि आयोग की रचना इन आधारों पर हुई तो मैं समझता हूं कि वह सन्तोषजनक कार्य कर सकेगा।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : कहां तक समवाय विधि सम्बन्धी साधारण बातों का प्रश्न है, हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं है । हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या संयुक्त समिति ने विधेयक में कोई गुणात्मक परिवर्तन किये हैं । या कम से कम करने की चेष्टा की है । स्वयं वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि समवाय विधि के ढांचे में कोई प्रामूल परिवर्तन नहीं हुआ है । इस का अर्थ यह हुआ कि सामान्य ढांचा वही रहेगा जो कई सौ वर्ष पहले अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के अधीन उपनिवेशों का शोषण करने की दृष्टि से बनाया था । यदि भविष्य में हम समाज के समाजवादी ढांचे के नाम में तथा लोक कल्याणकारी राज्य के नाम में इस पुराने ढांचे को ही कायम रखेंगे तो देश में एकाधिकारों के परिणामस्वरूप क्या स्थिति उत्पन्न हो जायेगी एकाधिकारों के परिणाम स्वरूप जो हालात पैदा हो जायेगी उस के मुख्य लक्षण ये हैं—उत्पादन तथा पूंजी का संकेन्द्रण बैंक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में विलय, पूंजी का निर्यात, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी एकाधिकारों का निर्माण और सम्पूर्ण विश्व का बड़ी बड़ी पूंजीवादी शक्तियों में विभाजन । किसी भी देश में पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप ऐसी ही हालत पैदा हो जायेगी ।

समवाय विधि का प्रभाव किसी देश के गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों हितों पर पड़ता है । वास्तव में यह राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का नियंत्रण करता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अन्ततः राष्ट्र का राजनैतिक रूप में भी नियंत्रण करती है ।

भिन्न भिन्न देशों की समवाय विधि उन देशों की अर्थव्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है । उदाहरणार्थ, पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था वाले देशों में आधिपत्य सरकारी क्षेत्र का होता है । समाजवादी अर्थ व्यवस्था वाले देशों म सरकारी क्षेत्र की स्थिति गौण होती है और गैर सरकारी क्षेत्र प्रमुख होता है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीयकरण आदि से होती है।

जहां तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, के सिद्धान्त को माना गया है । परन्तु 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा कहीं भी नहीं की गई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस सिद्धान्त पर ध्यान दिया जा रहा है । हमें द्वितीय योजना की जो रूप रेखा परिचालित की गई है उस से ज्ञात होता है कि सरकारी क्षेत्र पर कोई १,००० करोड़ रुपये के व्यय की प्रस्थापना है और गैर-सरकारी क्षेत्र में भी यदि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रस्थापनायें स्वीकार कर ली जायें, उतनी ही धन राशि के व्यय किये जाने का विचार है, इस का मतलब यह हुआ कि गैर सरकारी क्षेत्र के महत्व को कम नहीं किया जा रहा है अपितु उसे सरकारी क्षेत्र के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है । अतः इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न अभिकरणों द्वारा औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को किस प्रकार सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है ।

आज कल गैरसरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकरणों का आधिपत्य है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का भी अपना एक इतिहास है । इस सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यह प्रणाली अंग्रेजों द्वारा एकाधिकार निर्माण करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी । एक समय तो भारतीय व्यापारियों ने इस प्रणाली के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई । यह आवाज बम्बई शेयरहोल्डर्स के १९३४ की प्रसिद्ध दस्तावेज में व्यक्त की गई ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण मंगलवार १६ अगस्त, १९५५ को जारी रख ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।